SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Bhupender Yadav *ji*, I am saying something. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... One thing I would like to tell everybody ...*(Interruptions)*... Anybody tearing the Constitution in the House or saying something against India will not be allowed at all. ...*(Interruptions)*... Not only will I name them ...*(Interruptions)*... I will take action against them also. ...*(Interruptions)*... This has to be understood by all. ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... I have permitted him. ...*(Interruptions)*... I have permitted the Leader of the Opposition ...*(Interruptions)*... Please have patience.

STATUTORY RESOLUTIONS – *(Contd.)*

CESSATION OF ALL CLAUSES OF ARTICLE 370 EXCEPT CLAUSE (1)

THE JAMMU AND KASHMIR RE-ORGANISATION BILL, 2019

AND

GOVERNMENT BILLS–(*Contd.*)

THE JAMMU AND KASHMIR RE-ORGANISATION BILL, 2019

THE JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था। जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ रखने के लिए पिछले 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं; हजारों security forces, Army के, paramilitary forces के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं; हजारों politicians ने अपने जीवन का बलिदान दिया है; mainstream political parties ने अपने leaders खो दिए हैं, अपने workers खो दिए हैं और हजारों civilians, बल्कि लाखों, अगर 1947 से ले लें, कुर्बान हो गए हैं। यह बड़ी कुर्बानी के साथ हुआ। यह attempt पहली दफा नहीं हुई, बल्कि जब-जब इस तरह की attempt हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू-कश्मीर के अवाम, लद्दाख के आवाम हिन्दुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख-दर्द में खड़े रहे। यह सत्य है कि वहाँ कुछ लोग थे, हैं और 1947 से, जो accession के खिलाफ थे।

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** مانیئے چیئرمین سر، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی آرٹیکل 370 کے ذریعہ جموں وکشمیر اسٹیٹ کو دیش کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ جموں وکشمیر کو ہندوستان کے ساتھ رکھنے کے لیے پچھلے 70 سال میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں؛ ہزاروں security forces ، آرمی کے، paramilitary forces کے، پولیس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں پالیٹیشینس نے اپنے جیون کا بلیدان دیا ہے؛ mainstream political parties نے اپنے لیڈرس کھودیئے ہیں، اپنے ورکرز کھودیئے ہیں اور ہزاروں civilians ، بلکہ لاکھوں، اگر 1947 سے لے لیں، قربان ہوگئے ہیں۔ یہ بڑی قربانی کے ساتھ ہوا۔ یہ attempt پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ جب جب اس طرح کی attempt ہوئی، کشمیر کے عوام، جموں وکشمیر کے عوام، لداخ کے عوام ہندستان کے ساتھ کھڑے رہے، ہر وقت کھڑے رہے، دکھ درد میں کھڑے رہے۔ یہ سچ ہے کہ وہاں کچھ لوگ تھے، ہیں اور 1947 سے، جو accession کے خلاف تھے۔

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*... You know my temperament. ...*(Interruptions)*... The point is, if you are starting the discussion, I can give you longer time ...*(Interruptions)*... If you are responding on that ...*(Interruptions)*... If you want to have a discussion, I will allow you ...*(Interruptions)*... I am trying to understand. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Hon. Chairman, Sir, something historical has happened. It is not ordinary day-to-day functioning of Bills passing ...*(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu Script.

SHRI Y. S. CHOWDARY: *

SHRI GHULAM NABI AZAD: *

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...*(Interruptions)*... This allegation will not go on record. ...*(Interruptions)*... Both the allegations will not go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Ramesh, you please go to your seat. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Ghulam Nabiji, please. ...*(Interruptions)*... You cannot speak to any Member like that. ...*(Interruptions)*... You are the Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... Please confine to the issue. ...*(Interruptions)*... Nothing about the charges shall go on record. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... No, no. ...*(Interruptions)*... You cannot insult a Member like this. ...*(Interruptions)*... You cannot make personal allegations. ...*(Interruptions)*... If you want to say something, please speak; otherwise, it will not go on record. ...*(Interruptions)*... Even what LoP is saying will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I strongly condemn the act of two or three Members of Parliament —none from my Party and none from those of us —who are sitting here. We stand by the Constitution of India.

हम हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा देंगे ...(**व्यवधान**)... लेकिन हम उस act को condemn करते हैं, जिसके द्वारा ...(**व्यवधान**)... हम उस act को condemn करते हैं, जो हिन्दुस्तान के संविधान को जलाते हैं या उसको फाड़ते हैं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन आज बीजेपी ने इस संविधान का मर्डर भी किया और लोकतंत्र का मर्डर भी किया। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने लोकतंत्र और डेमोक्रेरेसी, दोनों का मर्डर किया। ...(**व्यवधान**)... जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिन्दुस्तान को जम्मू-कश्मीर दिया...(**व्यवधान**)...

† ہم ہندوستان کے سنودھان کی رکشا کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے ---(مداخلت)--- لیکن ہم اس ایکٹ کو کنڈمن کرتے ہیں، جس کے ذریعے ---(مداخلت)--- ہم اس ایکٹ کو کنڈمن کرتے ہیں، جو ہندوستان کے سنودھان کو جلاتے ہیں یا اس کو پھاڑتے ہیں ---(مداخلت)--- لیکن آج بی-جے-پی- نے اس سنودھان کا مرڈر بھی کیا ہے اور لوک تنتر کا مرڈر بھی کیا---(مداخلت)--- انہوں نے لوک تنتر اور ڈیموکریسی، دونوں کا مرڈر کیا ہے ---(مداخلت)--- جس سنودھان کے ذریعے، جس آرٹیکل 370 کے ذریعے ہم نے ہندوستان کو جموں-کشمیر دیا---(مداخلت)---

*Not recorded

†Transliteration in Urdu Script.

MR. CHAIRMAN: They have got a right. You have got a right to oppose. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आज मोदी सरकार ने उस संविधान की और उस अज़ीम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। ...**(व्यवधान)**... इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد :** آج مودی سرکار نے اس سنودھان کی اور اس عظیم لوک-تنتر کی دھجّیاں اڑا دی ہیں ... (مداخلت)... اسی لئے ہم دوبارہ پروٹیسٹ پر بیٹھتے ہیں ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Now, the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने अभी कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। ...**(व्यवधान)**... मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह भी ऐतिहासिक है और इतिहास बनाने वाला बिल है। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 के कारण आज जम्मू-कश्मीर की आवाम गुरबत में जी रही है, गरीबी में जी रही है। ...**(व्यवधान)**... उनको रिज़र्वेशन का फायदा नहीं मिलता। ...**(व्यवधान)**... वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।...**(व्यवधान)**... वहां के दलितों और ट्राइबल्स के साथ अन्याय हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 की छाया में तीन परिवारों ने ...**(व्यवधान)**... तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है, यह सत्य नहीं है। ...**(व्यवधान)**... महाराजा हरि सिंह द्वारा, 27 अक्टूबर, 1947 को 'Instrument of Accession of Jammu and Kashmir' पर साइन किया गया। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... जो चिल्ला रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**... Your leader has protested, what to do? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मैं फिर से यह बात बताना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर, 1947 को 'Instrument of Accession of Jammu and Kashmir' पर साइन किया गया ...**(व्यवधान)**... और जम्मू-कश्मीर के भारत से जुड़ने के पूरे दो साल के बाद, 1949 में धारा 370 आई। ...**(व्यवधान)**... यह सत्य नहीं है कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। ...**(व्यवधान)**... हकीकत यह

---

†Transliteration in Urdu Script.

है कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ कभी भी एकरस होने ही नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं कि यह गैर-संवैधानिक तरीका है, तो वे वाद-विवाद करें। ...**(व्यवधान)**... शोर-शराबा न करें। ...**(व्यवधान)**... वे संविधान की जिस धारा के लिए भी कहना चाहते हैं, मैं उसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**... जब से हमारा संविधान बना, तभी से धारा 370 को अस्थायी माना गया। ...**(व्यवधान)**... अस्थाई क्यों माना गया? अस्थाई इसलिए माना गया, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था। ...**(व्यवधान)**... इसको बहुत पहले ही हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी और इसके आधार पर वोट बैंक बनाना था। ...**(व्यवधान)**... हमें न तो वोट बैंक बनाना है और न ही हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। ...**(व्यवधान)**... नरेन्द्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी हैं। इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि कृपया इस पर चर्चा करिए। ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि इतने समय कश्मीर के अन्दर भ्रष्टाचार क्यों हुआ! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि कश्मीर के ट्राइबल्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... देश जानना चाहता है कि 35ए के तहत कश्मीर की माताओं-बहनों को, अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला! ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, देश जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अन्दर गया, फिर भी कश्मीर के लोग आज गरीब क्यों हैं, यह देश जानना चाहता है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी सभासदों से अपील करता हूँ कि कृपया चर्चा करिए, आप अपने तर्क बेख़ौफ़ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं हरेक तर्क का जवाब दूँगा। ...**(व्यवधान)**... मैं दृढ़ मानसिकता के साथ आया हूँ कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड की देरी भी नहीं करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Ram Gopal Yadav. ...*(Interruptions)*... Do you want to say something? ...*(Interruptions)*... Do you want to participate in the debate? ...*(Interruptions)*... Now, the debate is open on all four issues but voting will be separate. ...*(Interruptions)*... Voting will be separate. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I want to participate. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Prof. Ram Gopalji. ...*(Interruptions)*... Shri Satish Chandra Misra, do you want to speak? ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please, others go to your seats. ...*(Interruptions)*...

मनोज जी, आप प्लीज़ अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, जम्मू कश्मीर ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*... Anyone can effectively counter the Government. ...*(Interruptions)*... You can oppose; you can protest and you can vote against the Bill also. ...*(Interruptions)*... What Shri Satish Chandra Misra speaks will go on record. ...*(Interruptions)*... What Shri Satish Chandra Misra speaks will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: ऑनरेबल चेयरमैन साहब ...(**व्यवधान**)... जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन ...(**व्यवधान**)... को हमारी पार्टी पूरे तरीके से समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि यह विधेयक पास होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... धारा 370 पर और जो दूसरा बिल है, उस पर हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Satish Chandra Misra has spoken. ...*(Interruptions)*... मित्रों, इस विधेयक के लिए अगर किसी को संशोधन देना है, तो उसके लिए मैंने 12.30 बजे तक मौका दिया है। ...(**व्यवधान**)... I have already announced that upto 12.30 p.m., any Member who desires to move any Amendment to any clause or sub-clause, they are free to give it. ...*(Interruptions)*... Before that, the discussion will be going on. ...*(Interruptions)*... Voting will take place, only after this discussion is over, one-by-one and not together. ...*(Interruptions)*... Discussion will be together but voting will be separate. ...*(Interruptions)*... Please understand this. ...*(Interruptions)*... So, I now request Shri Ghulam Nabi Azad. ...*(Interruptions)*... Shri Ghulam Nabi Azad, do you want to participate in the debate? ...*(Interruptions)*... Now, Shri Bhupender Yadav. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैंने पहले ही कहा कि इस बिल के लिए ...(**व्यवधान**)... 4 बिल्स के लिए 4 घंटे का समय दिया है। ...(**व्यवधान**)... So, we will have time upto that and there won't be any lunch break. ...*(Interruptions)*... Whoever want to have lunch, they can go and come back. ...*(Interruptions)*...

12.00 NOON

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : माननीय सभापति महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैंने पहले ही कहा कि इस बिल के लिए ...**(व्यवधान)**... 4 बिल्स के लिए 4 घंटे का समय दिया है। ...**(व्यवधान)**... So, we will have time up to that and there won't be any lunch break. ...*(Interruptions)*... Whoever want to have lunch, they can go and come back. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, इस देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ...**(व्यवधान)**... यह ऐतिहासिक दिन हमारे देश में इसलिए है कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा इस सदन में संकल्प लाये गये हैं, बिल्स लाये गये हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को भारत के विषय को आगे बढ़ाने के लिए हैं और एक ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्प लाये गये हैं, जहाँ. "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हम एक सांसद के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हैं। ...**(व्यवधान)**... एक सांसद के रूप में हम जो शपथ लेते हैं, उस शपथ में हम सबसे पहले यह कहते हैं कि "हम भारत के संविधान में निष्ठा रखेंगे। "...**(व्यवधान)**... भारत के संविधान में निष्ठा रखने के साथ-साथ, हम अपनी शपथ में जो दूसरी बात कहते हैं कि "भारत की sovereignty, भारत की integrity और भारत की unity हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहना है।" ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: यह सब नारेबाजी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: तीसरा विषय, जो हम हमेशा कहते रहे हैं कि एक सांसद के रूप में जो दायित्व हमें दिया जाता है, हम उसे पूरा करने का काम करें। इस बहस को शुरू करते हुए, प्रारम्भ में मैं इस संसद की कुछ प्रक्रियाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। महोदय, विपक्ष ने आज सुबह नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिया। माननीय सभापति जी द्वारा उन्हें बोलने के लिए कहा गया। इस सदन में नियम 267 के साथ-साथ, नियम 266 में माननीय सभापति जी को पावर दी गई हैं कि वे किसी भी रूल को waive कर सकते हैं। आज मुझे विनम्रता से यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि विपक्ष के नियम 267 के नोटिस पर माननीय सभापति महोदय ने कहा कि आप जम्मू-कश्मीर विधेयक और संकल्प पर होने वाली चर्चा के दौरान अपने बिन्दु उठा सकते हैं, लेकिन बिल पर बोलने की बजाय उन्होंने आज इस संसद की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जिस संविधान की आपने शपथ ली है, भारत की एकता और अखंडता की बात की है, आप अपने संसदीय दायित्व को निबाहने का काम भी करें। मेरा आग्रह होगा कि आप कृपा कर बहस में हिस्सा लीजिए।

यहां बैठे हुए विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि नियम 235(vii) में कहा गया है कि जब यह सदन चलेगा तो सभी माननीय सदस्यों को अपनी सीट पर बैठना होगा, लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठने का काम नहीं कर रहे हैं। महोदय, इस सदन में पहले भी ऐसा हुआ है कि बिल कई बार Business Supplementary के साथ introduce होते रहे हैं। आज विपक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि इस बिल को लाने के लिए Business Advisory Committee में चर्चा नहीं हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि 2 अगस्त, 2019 को Business Advisory Committee की जब बैठक हुई थी, उस बैठक के Agenda No.1 पर जम्मू-कश्मीर Reservation Bill लगा था। उस BAC मीटिंग में Agenda No.1 पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य बैठे हुए थे। उसी मीटिंग में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

उस Business Advisory Committee की चर्चा को छोड़कर, अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यहां विरोध कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका विरोध केवल राजनैतिक है। इस विरोध का जम्मू-कश्मीर से, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों से, जम्मू-कश्मीर की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को कम-से-कम यह समझना चाहिए कि उसने कभी भी देश की एकता के लिए जम्मू-कश्मीर के संबंध में जो कदम उठाने चाहिए थे, उन्हें उठाने का काम नहीं किया। पिछले 70 सालों में जो काम आप नहीं कर सके, उस विषय को आज हमारे गृह मंत्री जी सदन में लाए हैं। आपको आज उनके साथ आना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि - when we enter into this august House, we take oath that we shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India and we will uphold the sovereignty and integrity of India. इसका तात्पर्य यह है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए, हम सब लोगों को सदन में हो रही चर्चा में भाग लेना चाहिए। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे चर्चा में भाग लें।

महोदय, जो हमारा Article 1 है, उसमें Union Territory की व्याख्या की गई है। Article 1 में जम्मू-कश्मीर को भारत की Union Territory के रूप में व्याख्या की गई है। उसमें यदि कुछ permanent है, तो वह Article 1 है | अगर कोई temporary या provisional Article था, तो वह Article 370 था। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि इसे provisional क्यों रखा गया? उस समय देश की परिस्थितियां क्या थीं? माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि जब जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, उस समय जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने विलय के समय कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का भाग होगा। उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार, धारा 370 का temporary provision किया गया था।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: लेकिन हमारे देश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सदन इस बात का साक्षी रहा है कि हम लोगों ने समय-समय पर भारत में अनेक प्रदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत हो करके प्रस्ताव पास किया है। ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 7 मार्च, 1974 को सिक्किम को इस देश की territory में शामिल किया गया था, तब पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा एक दिन के अंदर इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ...**(व्यवधान)**... विपक्ष के लोग यह नहीं भूले कि यह भारत की एकता और अखंडता का विषय है। ...**(व्यवधान)**... मैं उनको यह भी कहना चाहता हूँ कि 7 मार्च, 1974 को सिक्किम को शामिल किया गया और उसके बाद हमारे देश में आगे भी रही प्रक्रिया जारी रही। ...**(व्यधान)**... उससे पहले 2 मार्च, 1962 को गोवा, दमन और दीव तथा और Union Territories को इसी सदन ने भारत की एकता और अखंडता की व्याख्या करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था।...**(व्यवधान)**... मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुदुचेरी को भी इसी सदन ने एक साथ व्याख्या करके शामिल करने का काम किया था। ...**(व्यवधान)**... इस सदन में एक ऐसा क्षण आया है, जब देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हैं, उन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार किया गया। ...**(व्यवधान)**... अभी हाल ही में हमने पूरे देश में गरीबों को जो 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का काम किया, उस 10 प्रतिशत के आरक्षण को इस सदन ने एक मत से पारित किया था। ...**(व्यवधान)**... वह Business Advisory Committee में भी नहीं आया था, लेकिन वह देश के लिए जरूरी था, इसलिए देश के दोनों सदनों ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको एक मत से पारित करके इस देश के 10 प्रतिशत गरीबों को आरक्षण देने का काम किया। ...**(व्यवधान)**... आज विपक्ष यह नहीं कह सकता है कि इसमें किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... सदन में चर्चा करने का, सदन में विषय रखने का, सदन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज जो जम्मू-कश्मीर बिल का विरोध कर रही है ...**(व्यवधान)**... कांग्रेस ने किस प्रकार से इस सदन की मर्यादा को तार-तार किया था। ...**(व्यवधान)**... हमको ध्यान होना चाहिए कि जब कांग्रेस की एक पूर्व प्रधान मंत्री थीं, जब उन पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ निर्णय आया था, तब केवल उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए एक ही दिन में लोक सभा बुलाई गई, राज्य सभा बुलाई गई और शनिवार को 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाया गया और इस प्रकार से 17 राज्यों को दिल्ली में बुला कर वह संवैधानिक संशोधन किया गया। ...**(व्यवधान)**... यहां ऐसा करने का काम नहीं किया गया है। ...**(व्यवधान)**... यहां पर जो विषय रखा गया है, वह Business Advisory Committee के माध्यम से रखा गया है और Business Advisory Committee के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले रिज़र्वेशन के बिल को रखा है। ...**(व्यवधान)**... यह रिज़र्वेशन की हमारी संकल्पना क्या है? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में आज तक रिज़र्वेशन क्यों नहीं लागू हो पाया है? ...**(व्यवधान)**... हमने यह रिज़र्वेशन का सेकंड अमेंडमेंट बिल रखा है, लेकिन यह जानना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में इससे पहले सदन में जब एक मत होकर रिज़र्वेशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल रखा था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट बिल को सभी दलों ने सहयोग दिया था। ...**(व्यवधान)**... वह क्यों दिया गया था? ...**(व्यवधान)**... वह सहयोग इसलिए दिया गया था, क्योंकि जम्मू की सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण होने के कारण उनको बार-बार घर और परिवार से बेदखल किया जाता है। ...**(व्यवधान)**... इस कारण से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। ...**(व्यवधान)**... वह भारत की एकता, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग थे, लेकिन उनको जो रिज़र्वेशन देने का एक लंबे समय से, 70 साल से जो पेंडिंग काम था, उसको पूरा करने का काम इस सदन में सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। ...**(व्यवधान)**... लेकिन जब हम यह पहला रिज़र्वेशन का कानून लेकर आए, तब निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा बढ़ी है। ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा बढ़ी है, उस आकांक्षा को पूरा करना आज हम सबका दायित्व है। ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर का विकास हो, आखिर इसके बारे में सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में निवेश का माहौल बने, आखिर इसके लिए सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में भारत के सब नागरिक आवागमन कर सके, इसको सोचने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए हैं, उन कश्मीरी पंडित भाइयों को, उनके जीवन और सम्मान के विषयों को देने का काम किया जाए, उसको देने का काम कौन करेगा? ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि जब भी गरीबों की बात आती है, जैसे आधार कानून की बात आई, तब विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है। ...**(व्यवधान)**... जब इस देश में ओबीसीज़ के रिज़र्वेशन की बात आई, तब विरोध करने का काम, सेलेक्ट कमिटी का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। ...**(व्यवधान)**...जब महिलाओं की बात आई, ट्रिपल तलाक की बात आई, तब उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। ...**(व्यवधान)**... आज जब हम जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू-कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए धारा-370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं, उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूँगा कि सभी दलों में आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषय पर आकर इसको समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर अनेकों दल के सांसद बैठे हैं, अनेकों दल के सांसदों के द्वारा हमारा विषय शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारा जो विषय शुरू किया जाएगा, उसमें यहाँ पर अनेकों दलों का समर्थन प्राप्त होने वाला है। ...**(व्यवधान)**... मैं आज यह आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक गौरव

का क्षण आया है।...**(व्यवधान)**...यह एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो विलय जम्मू-कश्मीर का हुआ था, जिसके लिए एक लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा थी, लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो भारत की आकांक्षा थी, उसे पूरा करने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हम इसे इस डिबेट के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर का विकास कैसे होगा? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए पिछले पाँच सालों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वहाँ आईआईटी खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में आइआईएम खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल खोलने का विषय हो, लेकिन उसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए हमें आगे आना होगा। ...**(व्यवधान)**... आखिर काँग्रेस के लोग यह क्यों नहीं बताते हैं कि 70 सालों में जम्मू-कश्मीर में एससी-एसटी को रिज़र्वेशन क्यों नहीं मिला? ...**(व्यवधान)**... जम्मू-कश्मीर में ओबीसीज़ को रिज़र्वेशन क्यों नहीं मिला? ...**(व्यवधान)**... इस मामले में काँग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई विषय था, तो वह धारा-370 का विषय था, इसलिए जम्मू-कश्मीर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आज धारा-370 को समाप्त करने का एक सही संकल्प पारित किया गया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, आपके माध्यम से मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि जब धारा-370 एन. गोपालस्वामी आयंगर के द्वारा मूव किया गया था, तब भी यही विषय कहा गया था कि यह एक किस्म से temporary clause है। ...**(व्यवधान)**... इस देश के संविधान को हम लोगों ने एक लचीले संविधान के रूप में स्वीकार किया है। ...**(व्यवधान)**... एक ऐसे संविधान के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें जब-जब आवश्यकता होगी, जब-जब आवश्यकता पड़ेगी, देश के लोगों के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी व्याख्या की गई है। ...**(व्यवधान)**... धारा-368 के अंतर्गत एक पावर दी गई है कि संविधान में जो हमारे मूल विषय हैं, हमारा मूल विषय भारत के लोकतंत्र का विषय है। हमारी पार्टी उसके प्रति प्रतिबद्धता रखती है। भारत एक गणतंत्र है, हमारी पार्टी इसकी प्रतिबद्धता रखती है। भारत में चुनाव निष्पक्षता के साथ हों, इसके लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्धता रखती है। ...**(व्यवधान)**... भारत के लोगों की मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हम तो उस पार्टी के लोग हैं, जो वर्ष 1975 में इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने career को छोड़कर जेल में गए थे। ...**(व्यवधान)**... हमने जेल में जाकर यातनाएं झेली थीं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई लड़ी थी, वह भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दलों ने लड़ी थी। ...**(व्यवधान)**... मैं यहाँ यह कहना भी चाहूँगा कि जम्मू-कश्मीर में भारत की एकता का सपना भारत के महापुरुषों का सपना है। यह डॉ लोहिया का सपना है, बाबा साहेब का सपना है, देश के उन सब लोगों का सपना है, जिन्होंने भारत को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। ...**(व्यवधान)**... मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने

अपना बलिदान जम्मू-कश्मीर के लिए दिया था। ...**(व्यवधान)**... हम लोग बचपन से कहते हुए आए हैं कि

"जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।"

लेकिन कश्मीर के लिए जो दो विधान के विषय थे, उन विषयों को समाप्त किया गया। इसलिए 370 का temporary provision उस तात्कालिक समय में था। ...**(व्यवधान)**... यह एक ऐतिहासिक विषय था, जिसे पूरा करने का काम आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है, जिसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। महोदय, हमारी सरकार जो पाँच साल चली है, वह किस philosophy पर चली है? ...**(व्यवधान)**... हमारा यह कहना है और हमने यह देखा भी है कि इस देश में लोगों ने देशभक्ति पर केवल भाषण दिए हैं, लेकिन अब देशभक्ति पर भाषण नहीं, देशहित में कदम उठाकर भारत की एकता को मजबूत रखा जाए, यह काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इस संसद को यह पूरा अधिकार है कि संसद उन संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करे, जो संवैधानिक प्रावधान या तो तत्काल प्रभाव से लागू न होते हों या जिन संवैधानिक प्रावधानों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे रखकर, अपने देश का एक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है, उस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को आगे बढ़ाएँ। ...**(व्यवधान)**... मैं प्रतिपक्ष के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I am on a point of order only on the point he is speaking.

श्री उपसभापति: ठीक है। भूपेन्द्र जी, एक मिनट...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, धारा 370 भारत के संविधान का अंग है। इसको हटाने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। इसको संविधान संशोधन के जरिये ही हटाया जा सकता है, किसी रिज़ॉल्यूशन के जरिये नहीं हटाया जा सकता है। संविधान की किसी भी धारा में अगर परिवर्तन करना है, उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है, that may be amended only by a constitution amendment. सर, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, पहले आप इस पर रूलिंग दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं आपको बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: उपसभापति महोदय, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर सारे सदस्य सरकार से कम से कम यह जान लेते कि हम किस पद्धति से और किस धारा के अंतर्गत यह करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ माननीय सदस्य प्रो. राम गोपाल जी ने इसको उठाया। ...**(व्यवधान)**...

[श्री अमित शाह]

उपसभापति महोदय, धारा 370 के अंदर ही इसका प्रोविज़न है। ...**(व्यवधान)**... 370 (3) को जरा ध्यान से पढ़ें। ...**(व्यवधान)**... मैं सदन के सभासदों के लिए 370 (3) को पढ़ता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, केवल माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI AMIT SHAH: Article 370(3) says: "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify:

> Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification."

देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को cease करने के अधिकार हैं। ...**(व्यवधान)**... आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, constitutional order निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है "Constituent Assembly of Jammu and Kashmir means Jammu and Kashmir Assembly." क्योंकि अब Constituent Assembly तो है ही नहीं, Constituent Assembly समाप्त हो चुकी है, तो Constituent Assembly के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेम्बली में ही निहित होते हैं। ...**(व्यवधान)**... चूंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेम्बली के सारे अधिकार इन दोनों सदनों के अंदर निहित हैं और राष्ट्रपति के इस ऑर्डर को हम एक सादे बहुमत से पारित कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**... इससे पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को इन्हीं तरीकों से अमेंड कर चुकी है और हम आज उसी रास्ते पर हैं। ...**(व्यवधान)**... अगर इतनी चर्चा कर लेते, तो मैं पूरी डिटेल बताता, देश की जनता भी जान जाती, जम्मू-कश्मीर की आवाम भी जान जाती, मगर मेरिट्स इतना नीचा है, मेरिट्स है नहीं, सिर्फ पोलिटिकल बातें करनी है, इसलिए यहाँ बैठकर ये शोर-शराबा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं आपके माध्यम से गुलाम नबी साहब से अभी भी अपील करता हूं कि आप तो कश्मीर से आते हैं, आप कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। ...**(व्यवधान)**... धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है। ...**(व्यवधान)**... मुझे मेरी बात रखने दीजिए, क्या आप मुझे इतना भी अधिकार नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**... वाद-विवाद हो, तर्क हो, मगर आप लोगों को कुछ नहीं करना है।

सिर्फ शोर-शराबा करना है।...**(व्यवधान)** ...मैं अभी भी मानता हूं कि सदन के सारे सदस्य अपनी-अपनी सीट पर चले जाएं। ...**(व्यवधान)**... आपकी जितनी भी शंका-कुशंका या आपके सवाल हैं, मैं सबके जवाब देने के लिए बाध्य हूं और तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैंने आपकी रूलिंग नोट कर ली है, मैं बाद में अपना डिसीज़न दूंगा। ...**(व्यवधान)**... माननीय गृह मंत्री जी ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अब मैं भूपेन्द्र जी से कहता हूं कि वे अपनी बात continue करें।...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस पूरे सदन के सामने यह स्पष्ट किया है कि धारा 370 को लेकर पूर्व में जिस प्रकार के संशोधन कांग्रेस के द्वारा उसके समय में लाए गए थे, उन्हीं उपबंधों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया है और केवल राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस उसको रोकने का काम कर रही है।

महोदय, आखिर हमारे देश में जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में से केवल जम्मू-कश्मीर ही आतंकवाद से पीड़ित क्यों है? जम्मू-कश्मीर की आतंकवाद की पीड़ा को आखिर वहां पर कौन झेलता है, उसके आतंकवाद की पीड़ा को वहां की महिलाएं झेलती हैं। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जम्मू-कश्मीर में एक लम्बे समय से वहां की महिलाओं को, वहां की बहनों ने आतंकवाद की पीड़ा के कारण जो उन्होंने एक लम्बे समय तक जम्मू-कश्मीर में एक दंश झेला है, जम्मू-कश्मीर में उन्होंने जिस दर्द को सहा है, उससे मुक्ति का रास्ता, धारा 370 को समाप्त करके शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि धारा 370 के प्रोविजन को पहले जिस प्रकार से बदला गया है, यह हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और मैंने पूर्व में भी कहा है कि 20 दिसम्बर, 1961 को इस देश में territory में शामिल करने के लिए गोवा और दमन-दीव को territory में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया, 28 दिसम्बर, 1962 को पुदुचेरी का incorporation किया गया। महोदय, इस देश में संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमा के पुनर्निधारण का, राज्यों की सीमा के विकास का और उसके संबंध में कानून बनाकर लाए। निश्चित ही जम्मू-कश्मीर के संबंध में इस प्रकार का कानून, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है।

महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या धारा 370 temporary है और जो आर्टिकल 1 है, जिसमें भारत की सारी भूमि और सीमा को बताया गया है, वह उसके अंतर्गत ही आता है, इसलिए जो पॉवर धारा 370 (3) में है, धारा 370 की उपधारा 3 में जो पॉवर है, उसका सरकार ने विवेक से दृढ़तापूर्वक भारत के हित में इस्तेमाल करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसके लिए हम माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज

[श्री भूपेन्द्र यादव]

जम्मू-कश्मीर में, चूंकि वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन है और इस समय विधान सभा स्थगित है, इस विषय पर विचार करने के लिए यह संसद बैठी है और ऐसा नहीं है, यह संसद इसी सत्र में जम्मू-कश्मीर के रिज़र्वेशन के फर्स्ट बिल पर पूरी तरह से विचार कर चुकी है और जब फर्स्ट बिल पर हमने विचार किया था तो इन सब दलों ने अपनी consensus के साथ विचार किया था।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जो लम्बे समय तक शासन चला है और जम्मू-कश्मीर में लम्बे समय तक शासन करने के कारण भावनात्मक मुद्दों | को उठाया गया है, जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं होने दिया है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि काँग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में करप्शन क्यों रहा, काँग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में गुड गवर्नेंस क्यों नहीं आ पायी, कांग्रेस बताए कि जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार से नौजवानों को उनके रास्ते से भटकाने का प्रयास किया जाता रहा है... इस सदन में पहले भी चर्चा आयी है। इस सदन के पूर्व नेता श्री अरुण जेटली जी, जब इस सदन के नेता के रूप में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे और ख़ालिक मोहम्मद नाम के जिस अधिकारी के माध्यम से लोगों को निर्वाचन में निष्पक्ष रूप से भाग नहीं लेने दिया जा रहा था। क्या कांग्रेस बता सकती है कि जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करने में उनकी धारा 370 काम में आई? आज हम धारा 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर को भारत के सब राज्यों के समान विकास करने के लिए, भारत के सब राज्यों के समान आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आपके माध्यम से आज एक और विषय यहां पर रखना चाहता हूं। मेरा विषय यह है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए क्या भारत में सब राज्यों को समान अधिकार नहीं देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... सर, मान लीजिए कि 70 सालों से कोई धारा टेम्परेरी धारा के रूप में इस देश के अंतर्गत थी, अगर 70 सालों में उस परिस्थिति के कारण, तात्कालिक परिस्थिति के कारण वह धारा अगर भारत में टेम्परेरी थी, तो क्या उसके बारे में पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? क्या यह देश, जब हम कहना चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत एक बड़ा देश बनना चाहता है। ...**(व्यवधान)**... अगर भारत जब बड़ा देश बनना चाहता है, तो भारत अपने सभी नागरिकों के साथ, जम्मू-कश्मीर के लोगों के विकास के साथ महान भारत बनना चाहता है और इसलिए मैं पुन: आज यह कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा यहां संकल्प लाया गया है और संकल्प के साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर के reorganisation के लिए माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा एक विधेयक भी पेश किया गया है। राज्यों के reorganisation को लेकर समय-समय पर चर्चा चलती रही है। राज्यों के reorganisation को लेकर विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्ट आई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी तीन राज्यों का गठन करने का काम किया गया था। आखिर राज्यों के विकास की आवश्यकता क्यों है? ...**(व्यवधान)**... सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोगों को पता है कि हमें ज्यादा सघन तरीके से छोटी इकाइयों

के माध्यम से विकास के आयामों को आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि विकास सब लोगों तक पहुंचे, विकास के साधन सब लोगों को उपलब्ध हों, इसलिए प्रशासनिक इकाइयों को एक प्रकार से समायोजन करने का काम किया गया है, ताकि प्रशासनिक इकाइयों को ज्यादा सुदृढ़ता के साथ काम करने का अवसर मिले।

महोदय, हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है और हम यह भी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में कई बार कश्मीर की वैली में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा और विशेष रूप से हमारे पड़ोसी देश के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद किया जाता है, उसके कारण भी कभी जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और इसलिए एक व्यवस्थित रूप से इन राज्यों की इकाई का पुनर्गठन करके सब को विकास की सहभागिता में काम देने का काम किया जाए। यह बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है।

महोदय, मैं आज यह कहना चाहूंगा कि सरकार का जो पहला सत्र है, वह सत्र पूरे देश में एक ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ है। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि पिछले 70 सालों में अगर कोई सबसे productive पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, तो इस सरकार का यह पहला सत्र हुआ है। इस सरकार के पहले सत्र में महिलाओं के लिए 'ट्रिपल तलाक' जैसा कानून आया, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 'Insolvency' जैसा कानून सरकार लेकर आई, देश में मेडिकल क्षेत्र के विस्तार के लिए 'मेडिकल काउंसिल' जैसा संशोधन लेकर आए, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उनके लिए 'पोक्सो' जैसा कानून लेकर आए। ...**(व्यवधान)**... आज जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास की धारा में शामिल करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप देते हुए धारा 370 के संकल्प के साथ जम्मू-कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने का यह संकल्प प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है।

महोदय, हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जी रहे हैं। कल्याणकारी राज्य के रूप में उसका अर्थ यह है कि लोगों को उनके विकास के अधिकार मिलें, लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिले, भारत के सभी नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का अधिकार मिले। हम विपक्ष के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम Insolvency and Bankruptcy जैसा कानून लेकर आए, लेकिन धारा 370 लागू है, इसलिए हम उसको लागू नहीं कर सकते। हम बैंक में 'सरफेसी' जैसा कानून लेकर आए, लेकिन धारा 370 लागू है, इसलिए हम उसे लागू नहीं कर सकते हैं। मैं हमारे सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि कृपया करके वे यह बताएं कि क्या भारत के सारे सुधारवादी कानून और भारत के आर्थिक विकास के रास्तों पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उनका हक मिलने के लिए, सब का समान विकास करने के लिए धारा 370 की समाप्ति और जम्मू-कश्मीर का जो प्रशासनिक गठन है, उसको करने का काम हम लोगों ने किया है।

महोदय, आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि कांग्रेस अपने मोह से निकल नहीं पा रही है। उनका मोह कैसा होता है। जब हम लोगों ने जन-धन खाते

[श्री भूपेन्द्र यादव]

खोलने का काम किया - क्यों, कहां और कैसे; जब हम 'आधार' कानून लेकर आए - क्यों, कहां और कैसे! उन्हें हर बात पर ऐसा लगता है, जैसे देश चलाने का एक स्वाभाविक अधिकार उन्हें है, लेकिन हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अब कांग्रेस के वे सारे विषय समाप्त हो गए हैं - क्यों, कहां और कैसे - अब वह क्यों भारत के हित में है, उसे करने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उन मानवाधिकारों की रक्षा करना है, जिसमें हमारे देश की माताएं और बहनें सुरक्षित रूप से अपने घर में रह सकें, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे कड़ा कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहली बार यह तय किया है कि अगर इस देश में कोई प्रायोजित आतंकवाद लाने का काम किया जाएगा, तो हम उस आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करके surgical strike और air strike करेंगे - यह दृढ़ निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से गरीब ...**(व्यवधान)**... कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के विषय को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से भारत के गौरव को आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... इतना ही नहीं, हम तभी इस देश को सुरक्षा दे पाएंगे, जब अपनी सीमा को सुरक्षा दे पाएंगे और अपनी सीमा को तभी सुरक्षा दे पाएंगे जब हम न जम्मू-कश्मीर को अच्छा प्रशासनिक स्टेटस दे पाएंगे - और उसका प्रावधान इस बिल में रखने का काम किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, कांग्रेस के लोगों से मैं पुन: कहना चाहता हूं कि आइए, आप लोग इस दुर्भावना को छोड़िए; आइए, आप लोग अब इस सदन की मर्यादा को तार-तार मत करिए; आइए, आप देश के विकास में आगे बढ़िए ; आइए, आप हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को आगे बढ़ाइए; आइए, हम सब मिल-जुलकर भारत माता की जय करके हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें। हम हमारे विपक्ष से फिर से आह्वान करना चाहते हैं कि चुनौतियों के अवसर बहुत कम आते हैं। महोदय, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। मुझे महाभारत का एक उदाहरण ध्यान में आता है। ...**(व्यवधान)**... महाभारत की पूरी कथा दो भाइयों में चलती है। ...**(व्यवधान)**... वह कौरवों और पांडवों में चलती है। एक समय ऐसा आता है, जब पांडव जंगल में जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... उस समय दुर्योधन उनके पीछे-पीछे देखने के लिए आते हैं कि जंगल में उनकी स्थिति क्या है। तब दुर्योधन को जंगल में घेर लिया जाता है। यह देखकर भीम खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुर्योधन हमारा विरोध कर रहा था, आज इसको घेर लिया गया है। उस समय युधिष्ठर कहते हैं कि भीम, यहां पर वे सौ और हम पांच नहीं हैं - वयं पंचाधिक शतम् ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप और हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हमारा लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर का विकास करना है। हमारा लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक अच्छी प्रशासनिक सुविधा वाला राज्य बनाना है। हमारा काम जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करना है और हमारा लक्ष्य 70 साल पहले उस परिस्थिति में अगर कोई temporary clause आया था, तो उसे समाप्त करके भारत के 125 करोड़ लोगों को जम्मू-कश्मीर में आने-जाने की स्वतंत्रता देकर, जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाकर भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है।

इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सदन बहुत ऐतिहासिक डिबेट का साक्षी रहा है। वाद-विवाद और एक-दूसरे के खिलाफ तर्कों की इस उच्च सदन की परम्परा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी आपके माध्यम से यहां पर आह्वान किया है। माननीय राम गोपाल यादव जी ने जो प्रश्न पूछा था, माननीय गृह मंत्री जी ने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ...**(व्यवधान)**... माननीय गृह मंत्री जी सदन को आश्वासन दे चुके हैं कि हम विपक्ष के हर संशय का, विपक्ष के हर विषय का, विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**... वाइको साहब, यह गलत है कि हम किसी प्रकार के कोई emergency के प्रावधान ला रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह सदन है। इस सदन में उधर बैठकर आप अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं अपने इस भाषण में पुन: कहना चाहता हूं कि जब रूल बुक दी जाती है ...**(व्यवधान)**... तो रूल 235(vii) में कहा गया है कि सब अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठें। ...**(व्यवधान)**... आप लोग एक बार विवेक के साथ, विचार के साथ इस विषय पर तसल्ली से अपने पक्ष को रखने का प्रयास करें। जिसका जो भी पक्ष होगा - देश की जनता आज सारे पक्षों को देख रही है , लेकिन वाद-विवाद से भागना, वाद-विवाद को छोड़ना, नारे लगाना, सदन को नहीं चलने देना, सदन को गुमराह करना - ये सारे काम, जो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते हैं, जिसमें उन्हें रूलर होने की भावना है। इस देश में रूलर अगर कोई है, तो देश की जनता है। हमारे देश की जनता इस देश की रूलर है। जम्मू-कश्मीर की जनता हमारे अपने भाई-बहन हैं। ...**(व्यवधान)**... उनको सुरक्षा देना, उनको आतंकवाद से मुक्ति देना, उनके लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करना, यह संकल्प आज सरकार के द्वारा लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... इस ऐतिहासिक क्षण में, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को और हमारे गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी की जो दृढ़ता है, जिसके साथ उन्होंने देश की सुरक्षा के विषयों को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं पुन: बधाई देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... हम इसी दृढ़ता के साथ जम्मू-कश्मीर की सेवा करेंगे। जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भारत का जो एकात्मकता का भाव है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ...**(व्यवधान)**... महोदय, हमारी पार्टी में, हम लोग बचपन से नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सारे देश में एकता का भाव है। कश्मीर का पूरे देश में एक सांस्कृतिक चैतन्य का पूरा भाव है। ...**(व्यवधान)**... कश्मीर पूरे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसका विकास भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विकास की बातें केवल भाषण से नहीं आ सकती हैं, दृढ़ता के साथ उसे आगे

[श्री भूपेन्द्र यादव]

बढ़ाने से आती हैं। ...**(व्यवधान)**... विकास की बात के लिए एक आवश्यक प्रशासनिक ढ़ांचा देने की तैयारी करनी होती। विकास की बात के लिए संकल्प के साथ नेतृत्व को आगे बढ़ना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**... आज हमारे देश का नेतृत्व, जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, वह निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर और भारत के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए आपके माध्यम से, मैं आज आपके माध्यम से, जो यह संकल्प माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखा गया है और देश के कल्याणकारी राज्य के द्वारा, जो जम्मू-कश्मीर में आर्थिक आरक्षण का विषय रखा गया है, इन सभी विषयों के लिए मैं पुन: सरकार को बधाई देना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**... मैं चाहता हूं कि सारा सदन एक मत होकर, भारत के विकास की इस यात्रा का सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपसभापति: माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी। प्रो. राम गोपाल यादव जी। इस बहस में आपका क्रम है, कृपया अब आप बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपसभापति: श्री ए. नवनीतकृष्णन।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I may be permitted to go back and speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I permit you to go there and speak. ...*(Interruptions)*... Please speak. सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : Mr. Deputy Chairman, Sir, I welcome these two Statutory Resolutions and also the Reorganisation and Reservation Bills applicable to the State of Kashmir. ...*(Interruptions)*... There is nothing to worry. I may be permitted to read Article 370, because Articles 370(1)(a) and (b) contemplate limited power to Parliament to make laws with regard to Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*... At the same time, I would like to draw the kind attention of this House to sub-clause (3) of Article 370, which says, "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify." ...*(Interruptions)*... So, Article 370 is only temporary in nature. Also, Part XXI of the Constitution reads as follows, "Temporary,

Transitional and Special Provisions". ...*(Interruptions)*... So, Article 370 is only temporary in nature. Now, the Central Government has rightly brought forward these two Resolutions and also two enactments. ...*(Interruptions)*... Hon. Amma is well known for her upholding the sovereignty and integrity. ...*(Interruptions)*... So, we, the AIADMK Government, Amma's Government, the AIADMK Party, support the two Resolutions and also support the Reorganization Bill and also the Reservation Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prasanna Acharya. आपकी ही स्पीच रिकॉर्ड पर जाएगी। Only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, please. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आज सदन के लिए, पार्लियामेंट के लिए और हिन्दुस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक दिन है। ...**(व्यवधान)**... इसी सदन में जिस संविधान के लिए इस देश के हजारों-लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं, भारत के लिए पवित्र संविधान को इस सभा में आज अपमानित किया गया है। I condemn this. Sir, this is unpardonable. ...*(Interruptions)*... Many lives have been scarified to create the Constitution of this country. ...*(Interruptions)*... And in this House, we are dishonouring the Constitution. ...*(Interruptions)*... I agree with the Leader of the Opposition ...*(Interruptions)*... I really condemn this. Me and my Party also unequivocally condemn this action to ...*(Interruptions)*... the Constitution of India.

But, secondly, at the same time, Sir, मुझे लगता है कि आज सही अर्थों में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। हम हमेशा कहते हैं कि Jammu and Kashmir is an integral part of India. ...*(Interruptions)*... But was it really an integral part of India? ...*(Interruptions)*... इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा। ...**(व्यवधान)**... भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद पाएगा और हम कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारत का संविधान in real sense of the term, Jammu and Kashmir became an integral part of India today only. ...*(Interruptions)*... मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं और आज ज्यादा बोलने का माहौल भी यहां नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मुझे तो उस दिन खुशी होगी और पूरा हिन्दुस्तान इस सरकार को बधाई देगा, जिस दिन Pakistan-Occupied Kashmir कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। ...**(व्यवधान)**... आज हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर और हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बनेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं एक बात कहूंगा कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत रोते हैं, and

[श्री प्रसन्न आचार्य]

we are very concerned about the freedom of the people of Kashmir. ...*(Interruptions)*... We want to redeem the people of Kashmir from torture, we want to take the people of Kashmir at par the rest of India. ...*(Interruptions)*... But at the same time, we are forgetting what happened to the Kashmiri Pandits. ...*(Interruptions)*... For the last 70 years, 70 साल did anybody who are now shedding crocodile tears for Kashmir ever think about the Kashmiri Pandits? पिछले 70 साल में उनकी क्या हालत हो गई? All those people who are shedding crocodile tears for a Kashmiri have ever thought of the Kashmiri Pandits? What have we done with them? सर, अगर इस हाउस में आज discussion का माहौल होता, तो बहुत कुछ सामने आता। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

Therefore, Sir, I support this Resolution. ...*(Interruptions)*... My Party, the Biju Janta Dal, supports this Resolution. We are a Regional Party. But for us, the nation is first. The integrity, safety and security of India is first. ...*(Interruptions)*... We are a Regional Party. We have our regional aspiration. But for us, our Motherland, Bharat Mata, is the utmost. ...*(Interruptions)*... Therefore, Sir, I support this Resolution. ...*(Interruptions)*...

Sir, on this Reservation (Second Amendment) Bill, I have only one query to seek from the hon. Home Minister. ...*(Interruptions)*... After this Resolution, this reservation will be null and void. So, I don't understand why the Government has come forward with this Resolution. After this House approves this Resolution, this Bill is going to become null and void. I hope the hon. Home Minister would clarify this.

I would once again reiterate my point that the freedom, integrity, sovereignty and honour of Bharatmata is utmost for us. Therefore, my only submission is that so far as Kashmir is concerned, let us all rise above petty politics. I reiterate once again that my party, the Biju Janata Dal, my leader, Shri Naveen Patnaik, and me, in this House, equivocally support this Resolution and the Bill.

Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Nath Thakur. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभापति जी, श्री अमित शाह, गृह मंत्री जी ने जो बिल एवं संकल्प पेश किया है, उसका अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इस स्पष्टीकरण के साथ मैं बहिष्कार करना चाहता हूं कि वर्ष 1996 से धारा 370, सिविल कोर्ट और विवादित मामले में हमारे दल की मान्यता है कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय है, उसे धारण करें या समझौते के द्वारा जो निर्णय है, उसे धारण करें। आपसी समझौते से मामला हल हो जाए, मैं इसके पक्ष में हूं और मेरा दल इस पक्ष में है। पिछले 70 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया? मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, न विकास हुआ, न SC और OBC को आरक्षण मिला। ...**(व्यवधान)**... हम राष्ट्रवाद के नाम पर सब एक हैं। इन शब्दों के साथ हमारा दल बहिष्तार करता है।

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Prof. Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, unless the House is in order...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is in order.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, the House is not in order. This is unprecedented. This has never happened.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Swapan Dasgupta. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, you have not been allowed to speak. When your turn comes, I would allow you. Please, take your seat. ...*(Interruptions)*... Shri Swapan Dasgupta.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, this is a very proud day for the whole country, and it is a very proud day, particularly, for us who came from Kolkata because the movement for the abolition of Article 370 was begun by the local MP for Kolkata (South), Dr. Shyama Prasad Mukherjee, in 1953.

Sir, it is a very, very proud day. It is a very proud day because in future, we will not have Bills which would have the clause which says that 'this will not be applicable to the State of Jammu and Kashmir.' Only the other day, in this House, we passed the Triple Talaq Bill. That was a very important Bill because it was a major step towards getting rid of what can be called a differentiated citizenship. Today, Sir, we have taken the other step. We have made all citizens of this country equal. That equality was not there. But it is far more important that we have established the sovereignty of the Indian Parliament to the whole of India.

[Shri Swapan Dasgupta]

Sir, this is a very momentous step. The great political will this needed is something I wish to compliment both the Prime Minister as well as the Home Minister for. This is a momentous step, Sir. It is a step which really once again brings the country together.

Sir, on 15th August, 1947, Pandit Nehru gave a very good speech which we call the 'Tryst with Destiny' speech. One of the statements that he used there was "the soul of a nation long suppressed finds expression". Sir, that expression was not fully met on 15th August, 1947. Today, I believe, we have taken a giant step towards redeeming that pledge and, I think, it is unfortunate that it has been marred by some ugly scenes. Two questions that I want to ask the hon. Home Minister by way of clarification are these. One, does the repeal of Article 370 require a formal constitutional Amendment? I think, he needs to clarify it explicitly. I may know the answer personally but, I think, the country would like to know that. Secondly, at present the status of Jammu and Kashmir becomes that of a Union Territory. I think it would in the fitting nature of things if an assurance can be given that this is only transitional and, in due course, Jammu and Kashmir will become a full-fledged State and join other parts of the Union of India and the equal status. Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

SHRI VAIKO: What happened to my turn to speak? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is there. I will call you; it will come ...*(Interruptions)*... You are not permitted. Only Shri Sanjay Raut's speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। गृह मंत्री जी, जब आप धारा 370 को हटाने की बात कह रहे थे, तब पूरे देश में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, जहाँ-जहाँ भारतीय बैठे हैं, वहाँ-वहाँ एक आनन्द का, एक उत्साह का माहौल था। धारा 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना, जिसे सत्तर सालों से यह देश, यह संविधान लेकर जी रहा था। मैं गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देश तो खुश है ही, लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने भी आप पर स्वर्ग से फूल बरसाए होंगे।

महोदय, हमारे देश का, हमारे बुजुर्गों का हमेशा से एक अखंड भारत का सपना रहा है। अगर देश की, अखंड हिदस्तान की बात करते हैं, तो 1947 में नहीं, बल्कि आज जम्मू-कश्मीर का विलय हो गया है। आपने सत्तर सालों से रुका हुआ वह फैसला लिया है, जिसका देश को इंतजार था, इस सदन को इंतजार था। धमकियाँ मिल रही हैं कि दंगे होंगे। ऐसा कहा गया है कि अगर धारा 370 हटाई, तो दंगे होंगे, जो धारा 370 को हाथ लगाएगा, वे हाथ जल जाएंगे। जलाइए, अगर हिम्मत है तो? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गृह मंत्री क्यों बैठे हैं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी क्यों बैठे हैं? यह जलाने की और धमकाने की भाषा आज से बंद हो जानी चाहिए। एक मजबूत सरकार, जिसने दिखाया कि सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे चलाई जाती है और देश को अखंड रखने के लिए जो कुरबानी देनी पड़ती है, जो हिम्मत देनी पड़ती है, वह हिम्मत आज सरकार में दिख रही है। जो विरोध करते हैं, जिसने विरोध किया है, वे वही लोग हैं, जिसने सत्तर सालों तक जम्मू-कश्मीर की जनता का शोषण किया ...**(व्यवधान)**... बुरा किया। उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आने से रोका, उन्हें हमेशा सिखाया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित हों, हमारे वहाँ के मुस्लिम भाई हों, सभी चाहते थे कि यह धारा हटे, हम हिंदुस्तान के अंग बनें, हम हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल हों, लेकिन यह होने नहीं दिया गया। इतिहास में आज का दिन याद किया जाएगा। 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिन, 8 अगस्त हमारा क्रांति दिन और आज अगस्त महीने का 5 अगस्त,ज्क्रांति का दिन, हमने इतिहास में एक और दिन अगस्त पन्ने पर लिख दिया है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत कठिन निर्णय लिया है, आपने साहस से निर्णय लिया है, इसका विरोध होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि विरोध यहाँ सोया पड़ा है। आप देखिए, विरोध कैसे आराम से सोया पड़ा है, इनको आराम करने दो, हम काम करेंगे। आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान लेंगे, पीओके लेंगे। हमारे देश का अखंड हिन्दुस्तान का जो सपना है, मुझे विश्वास है कि इस देश की सरकार, इस देश के प्रधान मंत्री और इस देश के गृह मंत्री अखंड हिन्दुस्तान का सपना जरूर पूरा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, जम्मू-कश्मीर के re-organization के बारे में जो बिल लाया गया है, उसके लिए मैं पूरी शिव सेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिन्द।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, एक message है। ...**(व्यवधान)**... Message from Chairman, please hear. Some leaders met hon. Vice-President and requested to extend the time for giving amendments beyond 12.30 p.m. ...*(Interruptions)*... Now, the Chairman has decided to extend the time for amendments up to 2.30 p.m. ...*(Interruptions)*... He wanted Members to go to their seats and participate in the debate. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, मैं पुन: बताना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब ने पहले भी सूचना दी थी और हाउस ने सहमति दी थी कि आज लंच नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**... जो माननीय सदस्य लंच के लिए जाना चाहें, वे जा सकते हैं और फिर बहस join कर सकते हैं। यह बहस continue रहेगी। ...**(व्यवधान)**... श्री सतीश चन्द्र मिश्रा।

SHRI VAIKO: Sir, when will my turn come? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn comes, I will call you. ...*(Interruptions)*... You are not permitted, Mr. Vaiko. ...*(Interruptions)*... No permission to you. ...*(Interruptions)*...Only Satish Chand Misraji's speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, हमने यह कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम इसके कुछ कारण बताना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... इस देश में केवल जम्मू-कश्मीर में ही minority Muslim Community नहीं रहती है, बल्कि Muslim community जितनी जम्मू-कश्मीर में रहती है, उससे कहीं ज्यादा तादाद में बाकी पूरे देश में रहती है। ...(**व्यवधान**)... उनका हक कि वे जम्मू-कश्मीर में जाकर अपनी property बनाएँ, वहाँ के बाशिंदे बनें, उनका यह हक अभी तक छिना हुआ था, लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी minorities के लोग होंगे, दलित होंगे, backwards होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, खास तौर से minority Muslims, उनको अब एक right मिल जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर में जाकर वहाँ पर property बना सकते हैं और वे वहाँ के बाशिंदे कहलाएँगे। इस वजह से हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री वि. विजयसाई रेड्डी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAIKO: Sir, what about me? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn would come, I will call you. Your name is there in the list of speakers. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... No, I have not allowed you. ...*(Interruptions)*... Only Shri V. Vijayasai Reddy's speech will go on record. ...*(Interruptions)*... You are not allowed. ...*(Interruptions)*... Vijayasai Reddyji, only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, can I speak on all the four Bills? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak. कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी स्पीच रिकॉर्ड पर जाएगी। आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is a great privilege and honour for me to speak on this very important subject which has been pinching the country for the last many

1.00 P.M.

years. ...*(Interruptions)*... And, hats-off to the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister for their vision. ...*(Interruptions)*... This will completely solve the problem of Kashmir. ...*(Interruptions)*... The courageous, bold and daring step by the hon. Home Minister will be remembered in the Indian Parliamentary history for ever. ...*(Interruptions)*... Our Party President, Shri Jaganmohan Reddy Guru and our Party wholeheartedly support this move of the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister of the country. ...*(Interruptions)*... Sir, I have a few questions to be asked to the principal Opposition party, in this august House, the Congress Party. ...*(Interruptions)*... Had Pt. Nehru not recalled the Indian Army which had gone 25 kilometers inside Pakistan and over-powered the Pakistani Army, we would not have been discussing this issue here. ...*(Interruptions)*... Secondly, had Pt. Jawaharlal Nehru entrusted the job to Sardar Vallabhbhai Patel, who was the icon of unification of India, we would not have been discussing this issue. Had Pt. Jawaharlal Nehru not succumb to the dictates of the then Kashmir Ruler for Article 370, we would not have been discussing this issue. Had this provision in the Constitution, which is temporary in nature, been dispensed with by the Congress Party, which they have not done, we would not have been discussing this issue now. Sir, I have a few points to bring to the notice of this House. As two swords cannot be incorporated in one sheath, how can we have two separate entities within the Union of India? Number one, how can this country have two Constitutions? Number two, how can a State have two separate flags? Number three, just show me one country on this earth where a national flag is burnt, torn off and such an act does not constitute a crime? It happens only in Jammu and Kashmir. Then, how can a Pakistani become a citizen of India by simply marrying a Kashmiri girl? How can a country have two Prime Ministers and a separate Governor? We had this in Jammu and Kashmir. How can a Kashmiri girl become untouchable and lose all her rights and her children's rights if she marries a boy from any other part of India? How can a boy retain all rights and privileges even if he marries a girl from other parts of the country? Is it gender justification or blatant gender discrimination?

Sir, I have one more point to be brought to the notice of this House. The people of this country have been fighting since 1947 to realize their dream of looking India as one entity, one Union and one nation, which is possible only because of the present

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Home Minister, Shri Amit Shah. And, the proposed move of the hon. Home Minister —I am very happy that the hon. Home Minister is fulfilling the task that had been left out by Sardar Vallabhai Patel, albeit, due to blunder of the Congress Party and Jawahar Lal Nehru, I am repeating due to blunder of the Congress Party and Nehru --is applauded by 130 crore people of this country, because the objective is to achieve Sab Ka Vikas.

Now, I will make last few points. This move will definitely strengthen the sovereignty of the country. This move will remove discrimination between citizens of India. This move paves the way to remove sub-clause (3) of Article 370, which is absolutely temporary in nature. This move will bring peace and tranquility in Jammu and Kashmir. This move will help to develop Jammu and Kashmir along with other States and improve the socio-economic conditions of the people.

With these submissions, I once again reiterate our full-fledged support to the vision of the Home Minister and the Government of India. I once again congratulate hon. Prime Minister and hon. Home Minister for taking this bold and courageous step. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति: माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी, माननीया श्रीमती अम्बिका सोनी। श्री बिश्वजीत दैमारी। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया।

SHRI VAIKO: Sir, what about my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When it comes, I will call you. Please take your seat.

श्री अमित शाह: उपसभापति महोदय, वाइको जी को जल्दी बुलवा दीजिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप पहले बोलने का नम्बर दे दीजिए। वाइको जी, अभी आप बैठिए, आप इनके बाद बोल लीजिएगा। अभी तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री बिश्वजीत दैमारी : सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि यह बिल समय का अह्वान है, समय की आवश्यकता है। इस समय में इस बिल को लाना, देश के लिए, देश की कानूनी व्यवस्था के लिए, हमारी सार्वभौमिकता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था। लास्ट पांच-छ: साल से जम्मू-कश्मीर में बहुत खराब हालत बनती चली आ रही है।

जम्मू-कश्मीर इतनी खराब परिस्थिति में चला गया था कि हमारे नियंत्रण से बाहर जाने लगा था। अगर इसको नियंत्रण में लाना है, तो डेफिनेटलि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। आज यहां यह Constitutional Amendment लाकर, स्टेट का reorganization करने के लिए जो व्यवस्था लाई गई है, वह समय का अह्वान है। जब तक वहां की व्यवस्था existing provision से चलती रहेगी, तब तक हमारी केन्द्रीय सरकार वहां बदलाव लाने के लिए जतनी भी कोशिश क्यों न करे, वह उसको कर नहीं सकती है। इसलिए हमारे संविधान में संशोधन लाना बहुत जरूरी था। संशोधन लाना कोई illegal बात नहीं है। यह हमारे संविधान की ही वह व्यवस्था है कि जब देश में किसी समय कुछ भी जरूरत हो, तो हम Constitution में कोई भी नयी चीज़ डाल सकते हैं और हमारे देश में अच्छी कानूनी व्यवस्था के लिए existing Constitution के किसी भी provision को हम निकाल भी सकते हैं। यह सिर्फ एक सिस्टम है। सर, मैं सोचता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में आने वाले 10, 15, 20 सालों में अगर normalcy आ जायेगी, एक विश्वास आ जायेगा, तो संविधान संशोधन करके फिर उन लोगों को वापस राज्यों की मर्यादा भी दे सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि धारा 370 को उठाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पर केन्द्र शासित राज्य बनाने के लिए, उन लोगों ने इतना strong and bold decision लिया। केन्द्र शासित राज्य होने के नाते, केन्द्रीय सरकार की तरफ से वहाँ के बॉर्डर पर जो गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में हट समय यहाँ पर पता चलता रहेगा और इस विषय पर देश की सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ न कुछ strategy बना सकते हैं। इस तरह से यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

सर, इसके साथ कुछ और बातें मैं गृह मंत्री जी की दृष्टि में लाना चाहता हूँ। हमारे देश में इसी तरह की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिनको भी इसी ढंग से देखते हुए समाधान करने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, जो पृथक राज्य की माँग करते आ रहे हैं। पृथक राज्य की माँग के बाद, वहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए, Sixth Schedule के जरिए वहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। इसके बाद भी वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं और separate State की डिमांड कर रहे हैं। सर, हमारे संविधान में आर्टिकल 244ए है। आर्टिकल 244ए में, असम में जो जनजातीय लोग हैं और जनजातियों के रहने वाले इलाकों को लेकर, वहाँ के Sixth Schedule के इलाकों को लेकर, एक राज्य के अन्दर ही autonomous State गठन करने की एक व्यवस्था है। तो मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि संविधान में यह जो आर्टिकल 244ए है, इसको वहाँ पर लागू करने के लिए भी थोड़ा सा विचार करें।

इसके बाद पृथक बोडोलैंड की माँग की बात भी है। ...**(समय की घंटी)**... जो लोग पृथक बोडोलैंड की माँग कर रहे हैं, वह भूटान के बॉर्डर पर है और भूटान के साथ चीन लगा हुआ है। डोकलाम में जो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब आप conclude करें। ...**(व्यवधान)**... इसमें और स्पीकर्स भी हैं। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी: थोड़ा-सा समय और दीजिए, सर। ...**(व्यवधान)**... दो मिनट और ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**... इस लिस्ट में दो सदस्य और बोलने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**... समय सिर्फ 3 मिनट है। ...**(व्यवधान)**... आप conclude करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, मैं खत्म करने वाला हूँ। ...**(व्यवधान)** ... अब मेरा सिर्फ एक ही प्वाइंट है। ...**(व्यवधान)**... मेरा सिर्फ एक प्वाइंट यह है कि भूटान का जो बॉर्डर एरिया है, यह चीन के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी जो लोग पृथक राज्य बोडोलैंड की माँग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर Union Territory दिया जा सकता है, तो वहाँ चीन के border पर जो गतिविधियाँ हैं, उनको देखते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार की तरफ से हम लोग देखभाल कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं उसका अनुरोध करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: इसी तरह कार्बी, दिमासा, गोरखालैंड और मणिपुर में ...**(व्यवधान)**... सर, यह सब उसके साथ मिला हुआ है। ...**(व्यवधान)**... वह म्यांमार के साथ थोड़ा लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)**... वह म्यांमार के साथ लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... I am calling another speaker. ...*(Interruptions)*... Shri Vaiko. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, पाकिस्तान के साथ ...**(व्यवधान)**... म्यांमार के साथ ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vaiko, your name was third in the list. ...*(Interruptions)*... I am calling you as per the norm and your time is three minutes only. ...*(Interruptions)*...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, इन सारी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vaiko, please speak. Your speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Sir, I would request the hon. Home Minister that just now he stated that Vaiko will be permitted to speak. But, hon. Deputy Chairman is saying that my time is only three minutes. Opposition parties have not spoken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me clear that there are nine speakers ...*(Interruptions)*... and only 27 minutes' time is left. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: If you are not giving me time then do not allow me to speak also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you one more minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: This is very important and you are telling me that my time is only three minutes!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you one more minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO; Shouting takes place for three hours and you are allowing me for only three minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not waste your time. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member and a seasoned parliamentarian. ...*(Interruptions)*... Please speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Is it possible to talk in three minutes? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am going as per the record ...*(Interruptions)*... and norms of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: I will first ask the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, the great parliamentarian, Shri H.V. Kamath, when Article 356 was discussed, he stated that this day is a day of shame and sorrow. Today, it is a day of sorrow because we have not kept our promise that when the Pakistani troops, Pakhtoons, entered the terrain of Kashmir, King Hah Singh sent the emissary to Jawaharlal Nehru. Lord Mountbatten was also there. Jawaharlal Nehru accepted it and the Instrument of Accession was signed. Sheikh Abdullah, the Lion of Kashmir, the great leader of the Muslim population of the Valley supported and said, "Let us go with India but with the condition that the individuality and the originality of the State of Jammu and Kashmir cannot be compromised, and, therefore, there should be a plebiscite." This was promised by none other than late Pandit Jawahar Lal Nehru. He wrote a letter to the Prime Minister of the United Kingdom that plebiscite will be held. In 1948, 1949, 1950, 1952 till 1958, for Sheikh Abdullah, what was the reward? He was put behind the bars in Kodaikanal prison in Tamil Nadu. Then, what happened in 1964? M.C. Chagla, India's Ambassador to the

[Shri Vaiko]

United States, said, "Already elections have taken place, and, that is the plebiscite." A fraud was committed by the Congress Party. I have got all the respect for Jawahar Lal Nehru's Discovery of India and Glimpses of World History. There is no parallel book in the history. I have all the respect for Jawahar Lal Nehru but the promise of plebiscite was not kept. You did a plebiscite in Junagarh. Here, what has happened further? You said the individuality will be protected by Article 370 and 35A. Today, Mr. Nazir Ahmed Laway did tear the Constitution here. He did tear the Constitution here. I won't object even if the * by him. I won't object. Please listen. * in 1986 on the issue of imposition of Hindi language and I was imprisoned when Mr. Chidambaram asked, "You write your version on a piece of paper that you did not *." In the same House, I asked, "Mr. Chidambaram, would you yield for a minute?" I filed a separate affidavit in the court saying that I have * I was prepared even to be expelled. Mr. Chidambaram kept quite. Now, I tell you, all these years, every time, the Congress Party killed democracy. When Farooq Abdullah was taking a cup of tea in the morning, he came to know that his Government was dismissed. I told my friend, Farooq Abdullah, "You forgot the advice given by your great father, Sheikh Abdullah." When he took me to meet Sheikh Abdullah in 1980, Sheikh Abdullah told me, "My young friend from Tamil Nadu, don't forget that in the dictionary of Indian political history, there is no place for either for friendship or for gratitude in the Congress Party." These are the words of Sheikh Abdullah. Now, what has happened? You have not only bifurcated. Nomenclature, it has always been changed. When the Puducherry is claiming for Statehood, you are equating Puducherry with Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. When the Kargil War took place, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. My beloved friend, late George Fernandes, was the Defence Minister of the country. Our Tamil boys sacrificed their lives in Kargil, shed their blood, we gave our lives for the protection of Kashmir. But, what has happned now? Taliban, one side, Al Qaeda, one side. Now, you are playing into the hands. This Government, I am telling you. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. Please listen if you are really interested in this issue. Shakespeare said in Macbeth, "Even thousand perfumes of Arabia will not sweeten this little hand of Lady Macbeth". That has happened today. That has happened today. You have removed all the powers. The Statehood, a separate State, a separate Constituent Assembly, a separate Constitution, a separate flag, a Prime Minister, all these things were assured by the Congress Party. Not by that side. Not

*Expunged as ordered by the Chair.

by the BJP. It is you who promised that. You did break the promise by toppling the Governments frequently. You played with the sentiments of the people of Kashmir.

Sir, what has been bothering me for the last few days is that Army personnel in large numbers are being deployed there. Really, my heart is burning because it should not become a Kosovo. Kashmir should not become a Kosovo. Kashmir should not become an East Timor. Kashmir should not become a South Sudan. This may happen. Kashmir will become a South Sudan. Kashmir will become a Kosovo. Please listen to me. If you are really interested in democracy, listen to my view. You may differ with my view. It will be internationalized by the United Nations. There are countries which are opposed to India. There are enemies of India. They will use this card. The United Nations Human Rights Council will definitely interfere and Trump is playing his cards very carefully. He is a *. Donald Trump is a *. He is playing his cards very carefully. On one side, we have China. On the other side, we have Pakistan. Then we have Afghanistan this side. From one side, we have Taliban and from another side, we have Al Qaeda. They will say that it has become a Kosovo; it has become a South Sudan; it has become an East Timor; therefore, we have to interfere. This will come. The interference is going to come from the United Nations. Now Jammu and Kashmir has been made a powder keg. I am worried. I am really worried about the future. Today, on this particular Bill, I shed my tears of blood. I am not going to live for more than ten or fifteen years. But even after my demise, my grandchildren will not forget this day. This Bill should be thrown out. This Bill should be rejected lock, stock and barrel. But the main culprit is the Congress Party. I am opposing this Bill. I am terribly opposing this Bill. You are playing with the sentiments. Here was my colleague, Shri Nazir Ahmed Laway. You may throw him out using your marshals. Mr. Deputy Chairman, you can throw him out through your marshals. But there are lakhs and lakhs of Muslim youths of Kashmir. Will you throw them out? Will you throw them out? No. No. Fire is burning. Fire is burning in the hearts and minds of the Kashmiri people. For powder keg, one spark is enough. That spark is the Bill. I oppose the Bill. This is a day of shame, murder of democracy. Today, democracy has been murdered.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the hon. Member has made a very eloquent speech. He is entitled to his views. But there are certain very disturbing references to the Constitution. ...*(Interruptions)*... Those references must be deleted.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be examined. And as per the norms, we will take action.

डा. सुभाष चन्द्र (हरियाणा): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस हाउस में यह मेरी पहली maiden speech है और मुझे पता नहीं कि मैं यह कहूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्य की बात है, लेकिन as an independent Member of this House. मैं इस सदन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आज जो अमेंडमेंट आने वाली है, वह कोई अच्छी आएगी या बुरी आएगी। उस समय तक मुझे यह नहीं पता था, लेकिन जब आज सुबह मैंने यह अमेंडमेंट सुनी, तो मैं अंदर से गदगद हो गया और इस देश के प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और इस सरकार को एक इंडेपेंडेंट मेम्बर होने के नाते बहुत बधाई देता हूँ कि आप यह अमेंडमेंट लाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को इसका कारण भी बताना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 1994-95 में पाकिस्तान में आम चुनाव थे। वहाँ की पार्लियामेंट के चुनाव थे। उस समय श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो वहाँ की प्रधान मंत्री थीं। वहाँ केवल दूरदर्शन के बराबर एक पाकिस्तान टेलीविजन या हमारा जी टीवी देखा जाता था। ...**(व्यवधान)**... मिसेज़ बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज़ शरीफ़ और आज के प्रधान मंत्री इमरान खान के चुनाव प्रसार को पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैन कर दिया था। ...**(व्यवधान)**... हमने लंदन से अपनी टीम्स को भेजा और हमने पूरे पाकिस्तान में सभी का प्रचार-प्रसार बराबरी से किया। उसके बाद वहाँ की सरकार ने हम लोगों को as a guest बुलाया। ...**(व्यवधान)**... वहाँ की जो Judiciary समिति है, उनकी एक एसोसिएशन है "Judiciary समिति", उन्होंने मुझे वहाँ डिनर पर बुलाया और चर्चा करते-करते उन्होंने एक ज़िक्र किया कि अगर आपकी सरकार वहाँ पर धारा-370 खत्म कर दे, तो कश्मीर का विषय ही आपके यहाँ से खत्म हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... महोदय, यह बात वर्ष 1994-95 की है। वहाँ से वापस आने के बाद सभी राजनीतिक दलों में मेरे जो मित्र हैं और मैं कहूँगा कि मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से अधिक कांग्रेस पार्टी में हैं, मैंने उन सबसे पूछा, सभी पार्टियों से पूछा कि आप यह धारा-370 क्यों नहीं हटा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी ने यह कहा कि यह हटनी चाहिए, लेकिन यह एक बड़ा political issue है, यह politically किसी को suit नहीं करता, हमको suit नहीं करता, इसलिए हम नहीं हटा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यह एक बात थी और इस बात का मुझे आज सुबह याद आया, तभी मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप यह बिल लेकर आए और बहुत अच्छा किया। ...**(व्यवधान)**... आज इसी सदन में मेरे मित्र लीडर ऑफ ऑपोज़िशन, वे अभी नहीं हैं, शायद बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि धारा-370 की वजह से देश में कश्मीर का विलय हुआ। ...**(व्यवधान)**... महोदय, यह गलत है, क्योंकि विलय सन् 1947 में हुआ, लेकिन 370 की धारा वर्ष 1949 में लाई गई। इसलिए यह कहना गलत है और उन्होंने यह बात कही कि तब से लेकर अब तक कश्मीर में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, चाहे वह Paramilitary Forces हों, चाहे कश्मीर के बच्चे हों, युवा हों, चाहे कोई हो, राजनीतिक दल हों, अगर जानें जा चुकी हैं, तो यह केवल धारा-370 के कारण ही है कि ये जानें गई हैं। अगर यह धारा-370

न होती, तो आज जो इस सदन में हुआ, दो सदस्यों ने जो किया, जिन्होंने संविधान की बेइज्जती की, वे यह बात नहीं करते। इससे उनके दिल की बात सामने दिखकर आई। ...**(व्यवधान)**... उनके मन में कभी भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी सीट्स पर जाकर बोलें। ...**(व्यवधान)**... हाउस की परंपरा रहने दें। ...**(व्यवधान)**... सीट्स पर जाकर बोलें। ...**(व्यवधान)**...यह House of Elders है। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुभाष चन्द्र: मैं अपने आपको इस बात का निर्णय लेने के लिए सक्षम मानता, जैसा मेरे साथी श्री वि. विजयसाई रेड्डी ने पंडित नेहरू के विषय में कहा, उन्होंने और घटनाओं का भी जिक्र किया, मैं अपने आप को इसके लिए सक्षम नहीं मानता कि मैं यह कह सकूँ कि वह ठीक हुआ या गलत हुआ? ...**(व्यवधान)**... लेकिन जब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पिछली बातों को देखते हैं, तो यह जरूर समझ में आता है, सही समझ में आता है कि अगर धारा-370 न होती, तो कश्मीर में इतना अशांतिपूर्ण वातावरण न होता। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, मैं यह मानता हूँ कि इस सदन की, दूसरे सदन की और हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश के लोगों के लिए जहाँ एक तरफ प्रगति की बात करें, डेवलेपमेंट की बात करें, लेकिन साथ-साथ उनके सुख और शांति की भी बात करें। ...**(व्यवधान)**... मैं पिछले वर्ष 2018 में कश्मीर गया था। मैं युवाओं के साथ अपना एक सुभाष चन्द्र शो करता हूँ। बारामूला में मेरा एक कार्यक्रम था, जहाँ पर 2,000 युवा उपस्थित थे। वहाँ उस वक्त की मुख्य मंत्री, मैडम महबूबा ने मुझसे कहा कि सुभाष जी, वहाँ मत जाइए, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया और 2,000 युवकों से मैंने चार घंटे चर्चा की, खुलकर चर्चा की। यहाँ दिल्ली वापस आकर मैंने बताया कि वहाँ का युवा, वहाँ का हर कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये जो अलगाववादी लोग हैं, ये उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। इनसे वे डरते हैं, इनके कारण वे चिंता करते हैं, इसलिए वे परेशान हैं। उन्होंने यह कहा कि आप लोग भी कश्मीरियों को केवल टेररिस्ट मत समझिए, अपने टेलीविजन पर उनको टेररिस्ट मत दिखाइए। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि तब हमने एक प्रण लिया था और आज भी उसको पूरा कर रहे हैं कि हम कश्मीरी लोगों को कभी टेररिस्ट नहीं मानते हैं और न वे टेररिस्ट हैं। कुछ लोग अलगाववादी हैं, जो इस काम के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए मैं एक इंडिपेंडेंट होने के नाते आज के बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं अपोज़िशन के लोगों से भी यह रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपने विचार जरूर दें, जिससे अगर आपकी बात जरूरी हो, तो उसको भी incorporate किया जा सके। कश्मीर, जो किसी समय में जन्नत था, वहाँ पर एक कहावत है:

"गर फिरदौस बर रुये ज़मी अस्त,
हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।"

इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, तो वह कश्मीर में है, लेकिन वह स्वर्ग कहाँ गया? आप लोगों ने उसे क्या से क्या बना दिया। आज वह जन्नत के बदले दोजख बन चुका है। मेरे

[डा. सुभाष चन्द्र]

विचार से यह जो आज का बिल गृह मंत्री जी लाए हैं, यह उस कश्मीर को वापस जन्नत बनाने में मदद करेगा वह दोजख से वापस जन्नत बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द शर्मा जी। श्री सुशील कुमार गुप्ता। श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि विधान सभा की विधायी शक्ति अब सदन के पास है और उसके अंतर्गत यह सदन का अधिकार है कि हम धारा 370 के बारे में निर्णय लें। मैं अपने जीवन में एक लम्बे समय तक समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। कुछ दिनों से-- मैंने कोई दल नहीं छोड़ा, एक बार नहीं दो बार दल से निकाल दिया गया, इसलिए आप मुझे दलबदलू नहीं कह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि विरोध कहाँ है? डा. राम मनोहर लोहिया चित्रकूट में रामायण मेला करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी महादेवी वर्मा को बुलाया करते थे। देश का अस्वाभाविक विभाजन, इसके लिए 'My Country, My Life' में आदरणीय आडवाणी जी ने लिखा भी है। भगवान उनको शतायु करे, वे अभी हमारे बीच में हैं। उनकी मध्यस्थता में डा. राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों मिले। लोहिया जी ने "अखंड भारत" की बात की व भारत-पाकिस्तान-बंग्लादेश के महासंघ की बात की और दीनदयाल जी ने "अखंड भारत" की बात की। 1962 के कानपुर के अधिवेशन में जब "आर्थिक-एकात्मवाद" की बात शुरू हुई, तो उसमें लोहिया जी मुख्य अतिथि थे और अटल जी उनके सहायक थे। मैं धारा के प्रतिकूल बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस सदन का रिकॉर्ड देखा जाए, तो पता चलेगा कि इसी सदन में "एक देश, एक ध्वज और एक संविधान" की बात डा. लोहिया ने एक बार नहीं, कई बार कही। इसलिए इतिहास की जो भूल वर्षों पहले हुई कि कश्मीर को एक अलग स्थिति में देखा गया, एक अलग कानून बनाया गया, उसे देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। आज उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है और इसके लिए हम, हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अभी भूपेन्द्र जी कह रहे थे कि काँग्रेस के साथी भी कश्मीर के निर्माण में हमारे साथ आएं और धारा 370 को खत्म करके भेदभाव खत्म करें। महोदय, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि-

"हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है।
दिल ए नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है?"

महोदय, सत्ता अगर चली गई तो चली गई, इसको मान लो, क्योंकि राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ है, राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व, कभी आप भूतपूर्व।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I rise to support this Bill on behalf of my party, Asom Gana Parishad. It is my privilege and honour to associate myself with this historic movement of the country. We must congratulate the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister for this historic, bold and courageous step. Hon. Home Minister, Sir, the country will always remember you for your bold and historic step. For the last seventy years, Article 370 was in Kashmir. Maximum money was allotted for the development of Jammu and Kashmir. But Kashmir was not developed. The money was spent. But Jammu and Kashmir was not developed. Only a few persons developed personally. From today, I am sure a new journey will begin for Jammu and Kashmir for their development purpose. Like Jammu and Kashmir, Assam and other North-eastern States are also international bordering States. But earlier, there was discrimination. Jammu and Kashmir enjoyed Article 370, but the north-eastern region States and Assam were deprived from this provision. But from today, we will be equal. Equal constitutional rights will be enjoyed by the people of north-eastern region. Equal constitutional rights will be enjoyed by the people of north-east India and also by the people of Assam. Today, we remember Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister of the country who reunited our country. Today, we must congratulate the hon. Prime Minister, hon. Home Minister for reuniting the country again. The country will always remember you. The country will always remember the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. With these words, I, on behalf of my party, Asom Gana Parishad and myself, fully support the Bill.

श्री उपसभापति: माननीय सरदार बलविंदर सिंह भुंडर जी।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): उपसभापति महोदय, आज यह जो जम्मू-कश्मीर रि-आर्गेनाइज़ेशन बिल, 2019 आ रहा है। मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए जितनी कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी हैं, मैं किसी को कम नहीं कहता हूं, लेकिन शायद किसी ने भी न दी हों। वर्ष 1947 के डिविजन को हमने भुगता है। हमने अपने 10 लाख लोगों को खोया, अपना घर-बार छोड़ा, इस देश को चुना, इस देश को अपना माना, इसलिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसके बाद जब भी समय आया, चाहे देश के बॉर्डर पर लड़ाई हुई, उसके लिए सिर्फ हमारे जवानों ने ही नहीं, बल्कि हमारी बीबियों और बहनों ने भी वहां जाकर मदद की और कोई भी मौका आया, चाहे फूड का मौका आया, उसकी भी मदद की। जनरल अरोड़ा जैसे, जिन्होंने 90 हजार कैदी surrender

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

कराए, जनरल हरबक्श जैसे हमारे जरनेल और एयर मार्शल Arjun Singh जैसे हमारे जरनेलों ने हमेशा जंग में सबसे आगे जाकर हिस्सा लिया। ...**(व्यवधान)**... इसलिए, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस देश को कोई तोड़े, हम इस देश के साथ हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी कुर्बानी वाली पार्टी ने, जिसने शहीद भगत सिंह जैसे इंसान पैदा किए, जिसने करतार सिंह सराबा जैसे इंसान पैदा किए, जिसने उधम सिंह सुनाम जैसे इंसान पैदा किए | जलियांवाला बाग जैसे हादसे इस पंजाब की धरती पर, काले पानी जैसी सजा के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं, उस कौम के साथ आज़ादी के बाद भी बहुत अन्याय हुआ, जो पीछे हुआ, वह हमने झेला। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा देश, हमारा ही कत्लेआम दिल्ली में और सारे देश में, 34 साल हो गए, उसका हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हरिमंदिर है, हरि का मंदिर है, जो सब की रक्षा चाहता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, उस पर हमला हुआ। उस देश में उस पर हमला हुआ, जिसके लिए हमने अपने आपको सदा कुर्बान किया है। हम आज भी साथ हैं। गुरू तेगबहादुर, जब इस देश में कोई बोलता नहीं था, तब भी minorities की रक्षा के लिए जुल्म के खिलाफ अपना शीश दिया। गुरू गोविंद सिंह जी ने इस देश के लिए अपने सारे परिवार की कुर्बानी दी। अगर गुरू गोविंद सिंह जी न होते, न कहू अब की, न कहू तब की, अगर न होते गुरू गोविंद सिंह, तो सुनत होती सबकी। उस वक्त यह नारा था। 35-35 किलो देसी जनेऊ उतरते थे। हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दीं। अंग्रेज़ों के वक्त हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दीं। देश में फिर इमरजेंसी की लड़ाई हो या कोई भी हो, हम देश के हक में रहे। हम यह कभी नहीं सोच सकते हैं कि कभी इसे आंच भी आए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम minority community को रिप्रेजेंट करते हैं । हमारे साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। पंजाब में कैसा अन्याय हो रहा है, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से चाहेंगे कि जैसे आप देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश और मजबूत होना चाहिए, वैसे ही इस देश की बहुधर्मी, बहुभाषी, multi-culture, multi-language, multi-religion country है और हमारा जो संविधान है, वह सेक्युलर और फेडरल है, इसलिए उसकी रक्षा भी, मैं मुकम्मल तौर पर यह कहना चाहता हूं, करनी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि minority को कहीं भी कोई चिंता न हो, कहीं भी उस पर कोई ज्यादती न हो, इसके लिए हम minority के साथ हैं, उसकी हम मांग करते हैं। इसमें ज्यादा लंबा-चौड़ा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी देश पर आंच आई, तो हम साथ रहे हैं, लेकिन minority की रक्षा के लिए, हमारी पार्टी सबसे ओल्ड पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, जो हिंदुस्तान में हमारी पार्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि minority की रक्षा के लिए भी होम मिनिस्टर साहब पूरा भरोसा दें। इस आश्वासन के साथ, इन लफ़्ज़ों के साथ, मैं देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हुआ हूं और सपोर्ट करता हूं और यह भी चाहता हूं कि minority की हमेशा रक्षा होनी चाहिए।

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, today will be remembered as a great day, for a great step taken for the consolidation of the unity of India, which was lacking. *...(Interruptions)...* Therefore, what I found surprising is that the Leader of the Opposition does not seem to know the law. He says that that Article 370 is the one that connects Jammu and Kashmir to India. He quotes Article 370. Mr. Deputy Chairman, Sir, I will quote what Article 370 says. This is Article 370(1)(c): "The provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir." Article 1 says, "THE UNION AND ITS TERRITORY, that is Bharat, shall be a Union of States." Then it goes on to say, "The States and territories thereof shall be specified in the First Schedule." If you look at the First Schedule, Jammu and Kashmir is mentioned clearly there. Hence, Article 1 has the feature that shows that once a part of India is part of the Union of India, it, therefore, can't be separated. That is why, in Berubari, we had such a number of problems when we could not give it away to Bangladesh even though it was a commitment made by us. Therefore, every inch of India, which is part of the Schedule, is inalienable. *...(Interruptions)...*

Then, Article 370 further says, "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative partially. In other words, there is no mention of Parliament. There is no mention of a Constitutional Amendment. It says, "The President, by a notification, can remove Article 370," which is what is now being done. It further says, "Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir shall be necessary before the President issues such notification." The Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir concluded its proceedings in 1956. What did they recommend? The Preamble of Jammu and Kashmir Constitution says, "Jammu and Kashmir shall be an inalienable part of India." Jammu and Kashmir will be integral part of India. It is there in the Jammu and Kashmir Constitution. There is no mention of Article 370 in the Constitution. So, what appears here? The Congress party leaders are totally ignorant of the law. They are unaware of what actually the law says. What we are proceeding now is on the basis of law. Bringing in the Resolution was an additional recognition that this be informed to Parliament. Hence, on this basis, I say that the Article 370 removal was overdue and Article 370 was a temporary provision. *...(Interruptions)...*

[Dr. Subramanian Swamy]

Mr. Deputy Chairman, Sir, Article 370 which prevents the people from outside to come to Jammu and Kashmir died the day 5,00,000 Kashmiri Pandits were driven out. 5,00,000 Kashmiri residents who are called Pandits and Sikhs were driven out of Kashmir, and not a word was said in their favour or any attempt made to ask them to return. How can you have Article 370 in a one-way direction? ...*(Interruptions)*... It cannot be and, therefore, Article 370 has been violated repeatedly by the parties which were ruling all this time before the President's Rule. I also say that what remains now to be done is the Resolution passed by Parliament unanimously, that the portions of Kashmir in possession, in name of Azad Kashmir in Pakistan, illegally occupied, will be taken back. This is a Resolution of this House and it was unanimously passed during Narasimha Rao's period and that is another thing that we need to do. We also need to withdraw the petition filed by Pt. Jawaharlal Nehru in the United Nations Security Council because it was done without the permission of the Cabinet of Jawaharlal Nehru. ...*(Interruptions)*... Why are they objecting to the question of temporary provision being removed? They are objecting to it because of the fact that there is a vested interest in that. As long as Article 370 is there, other elements will take advantage of it. In fact, certain elements were encouraged recently by the fact that Imran Khan met the President of the United States and the President of the United States mistakenly said that he is willing to mediate. There is nothing to mediate. Article 370 is gone. ...*(Interruptions)*... There is nothing to mediate except for Mr. Trump to tell Mr. Imran Khan to return the land which they illegally took from India, which is a part of Azad Kashmir. ...*(Interruptions)*... Return of the territory in the possession of Pakistan is the next agenda item for us, and I hope the decisiveness with which the Prime Minister and the Home Minister have taken the steps, they will take the next step when we are ready to recover the land as per the Resolution of the Parliament. This is what I have to say. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Ambika Soni. Not present. Shri Sasmit Patra.

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Statutory Resolution relating to Article 370 moved by hon. Home Minister, the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*... Sir, I hoped I had a better thing

today to speak about, the fact being that today I complete one month as a Member of this House. I hope, that today, having completed one month as a Member of this House, it would have been a joyous occasion, but, Sir, I feel pained. I feel pained because today I saw the Constitution of my country being ripped apart in front of my eyes. I feel sad that in this House, as a one-month old Member, I saw what happened in front of my eyes. It has shocked me and I am sure it has shocked the nation as well that if in Rajya Sabha the Constitution of the land is being torn apart, if this is the sentiment, then it is good that Article 370 is being scrapped. It is good that today we are talking about Jammu and Kashmir Reorganisation. ...*(Interruptions)*... It is good that this action is being taken by the Government. On behalf of Biju Janata Dal and my hon. Leader, Naveen Patnaikji, I support the J&K Reorganisation and I support the scrapping of Article 370 and I also support the J&K Reservation (Second Amendment) Bill, 2019.

Sir, firstly on Article 370, the question today before us is, with Article 370 was Kashmir a part of *Bharat Ma*? No, it wasn't, Sir. It was always away from us and Article 370 kept it away from us. Today with Article 370 going, it is truly a part of *Bharat Ma* and I thank the hon. Government for this. ...*(Interruptions)*... In terms of Reorganisation of J&K, Ladakh is in a strategic position within the country. The Kargil war reminded us one thing that we must protect Ladakh in all respects. ...*(Interruptions)*... And, today, with this Reorganisation Bill and Ladakh being made as UT without Legislature, it is in the right direction which will ensure that national security is protected. ...*(Interruptions)*...

Sir, J&K as UT is also extremely important, because we are seeing, over the past decades, how it is being used for political opportunism. ...*(Interruptions)*... We hope that the Government, through the Reorganisation Bill, will also ensure that law and order prevails appropriately.

I would like to say something about the J & K Reservation Bill. Today, since Article 370 is being scrapped and this entire episode is brought about with J&K Reorganisation Bill, the J & K Reservation Bill will completely become void. Today, I am confident that the House will ensure both Article 370, the Statutory Resolution as well as the J&K Reorganisation Bill will be passed and, therefore, there is no need to actually pass the J&K Reservation Bill today.

[Shri Sasmit Patra.]

Finally, I would like to end with a few lines from the movie 'Haider' that I saw some time back. It was a movie on Kashmir. These few lines epitomize Kashmir. Today, it is about emotions; today it is not about clause-by-clause for me. I would like to recite it for you.

दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं
झेलम भी मैं, चिनार भी मैं।
दैर भी हूं, हरम भी हूं
शिया भी हूं, सुन्नी भी हूं।
मैं हूं पंडित
मैं था, मैं हूं और
मैं ही रहूंगा

यह कश्मीर है, यह कश्मीरियत है, यह कश्मीरियत की सोच है। Sir, today, when we talk about this, कश्मीर था, कश्मीर है, कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग था और रहेगा। To do that, we must strengthen the Government. We must pass this resolution. We must pass this Bill and ensure that our Kashmiri brothers and sisters are together with us. And, at the same point of time, I urge the Government to do one thing. ...*(Interruptions)*... Bring out Kashmiri Pandit brothers and sisters back to their homeland. I am sure that the Government will do that. They have suffered for decades. People have forgotten them. The Governments-after-Governments forgot them. Let us not forget them anymore. Kashmir Pandits must come back to the Valley and the Government must ensure that.

Thank you so much for giving this time.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, today is the black day. The Indian Constitution has been * by the BJP Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I object to the word used by hon. Member. This is unparliamentary. It has to be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will be examined and, accordingly, a decision will be taken as per rules.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, you did not consult the people of Jammu and Kashmir or Ladakh. You dissolved the Assembly. You don't want to hold any election.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

And, you have taken 35,000 Armed personnel there. You are creating another Palestine! Tomorrow you can do anything with any State. Tomorrow you can bifurcate any State. You can dismiss the State, dissolve the Assembly, take everything into your possession and bring any Bill. So, the Constitution itself is in danger. Our party, CPI(M), warned the people before election that RSS-BJP will destroy the Indian Constitution. They will destroy the Indian unity. So, my party is very sympathetic towards the Kashmir people; we are sympathetic towards Jammu and Kashmir people. Without their knowledge...*(Interruptions)*...Don't worry about it. I would like to remind, on behalf of the entire opposition, one thing. There are some opposition parties which supported it. They will feel it later. They will also realize it tomorrow. For example, Puducherry wanted a separate State. Will you give a separate State, or, will you bring a Bill and merge it with Tamil Nadu? Morarji tried once, but he failed. So, this is a dangerous thing. The life of the Kashmiri people, the future of the people of Jammu and Kashmir, the future of the people of Laddakh is in danger. The Constitution is in danger. You are Hindus and you are cancelling the *Amarnath Yatral* What a great believers! You are not believers. In the name of Hindus, you are destroying the Hinduism; you are destroying everything. We fully oppose this Bill. We stand with the people of Jammu and Kashmir. And, that is our party's line. And, I oppose this Bill.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to strongly support this Statutory Resolution and the Bill.

At the very outset, I urge upon the Chair that the strongest possible punishment should be accorded to the Members who tore the sacred Constitution of India.

Sir, I heartily commend the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for their political will to bring forward this historic Bill. Something that could not be done for seventy long years, by successive Governments, has finally been done; finally been achieved by the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister. I strongly support the Bill because it is perfectly consistent with the Constitution of India; it is also consistent with the spirit of debates in the Constituent Assembly. It must be remembered that Article 370 was placed by Dr. B.R. Ambedkar in the Constitution as a provisional one. The option of deleting the provision was implicit. But, it took us seventy long years to do it. But, better late than never. And, that is this historic Bill is very commendable.

2.00 P.M.

[Dr. Narendra Jadhav]

This historic move is highly commendable for two reasons. First, this Bill finally establishes equality among all Indian citizens that is enshrined in our Constitution. Secondly, this historic move also extends reservation to all marginalized strata of society in Jammu, Kashmir and Laddakh. This great move will pave the way for much needed economic growth of Jammu, Kashmir and Laddakh.

In 2012, as a member of the then Planning Commission, I was entrusted with the responsibility of preparing a development plan for Laddakh. I travelled extensively in Jammu, Kashmir and Laddakh. And, I was deeply moved by the poverty prevailing there and was very seriously angered by the neglect of Laddakh region. Reportedly, most of the financial allocations, which were recommended in my report and accepted by the then Central Government, were usurped by the Government for Kashmir Valley and not left for Laddakh for whom it was intended to be. With the reorganisation of Jammu, Kashmir and Laddakh, especially with Laddakh emerging as a separate Union Territory, the opportunities for economic growth and human development would be opened up for the poor people of Laddakh.

Sir, I wholeheartedly support this Bill and recommend its passage. Thank you very much.

प्रो. मनोज कुमार झा: धन्यवाद, उपसभापति महोदय, अभी मेरी माँ टेलीविज़न देख रखी थीं, तो उन्होंने WhatsApp पर मुझे एक मैसेज भेजा कि मनोज, बोलने में कूल रहना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कूल रहूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... Treasury Benches से मेरा आग्रह है कि कृपया इन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... माननीय मनोज झा जी, आप चेयर की तरफ देख कर एड्रेस करें, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, उधर भी देखने का मन कर जाता है।

सर, जहां तक उधर जाने की बात है, वह तो इस जन्म में नहीं होगा। आर्टिकल 370 को लेकर जो चीजें हुई हैं, मैं उनके पक्ष में कतई खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं अपना इतिहास जानता हूं। मैं आर्टिकल 370 के बनने की गाथा जानता हूं। मैं कश्मीर के हिन्दुस्तान में विलय का इतिहास भी जानता हूं। सर, मैं बौनी समझ का नहीं हूं। चूंकि मैं बौनी समझ का नहीं हूं, इसलिए लगातार मैं इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए? हमें कश्मीर की जगह, कश्मीर की ज़मीन चाहिए या कश्मीरी आवाम चाहिए?

सर, आज मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं, चूंकि आपकी majority है, मैं हमेशा बार-बार आगाह करता रहा हूं कि जब भी majority आती है, तो अच्छे-अच्छे और बुरे-बुरे, दोनों तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन आप अच्छे वाले विचारों को पकड़िए, बुरे वालों को छोड़ दीजिए।

माननीय उपसभापति महोदय, मेरे ठीक समक्ष माननीय विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं। सर, 1966 में आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी ने इन्दिरा जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। आज की तिथि में आप यह चिट्ठी, मेरी तरफ से, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नाम मान लीजिए। मैं जे. पी. की चिट्ठी पढ़ रहा हूं। "The Kashmir question has plagued this country for very many years. It has cost us a great deal materially and spiritually. We profess democracy but rule by force in Kashmir..." यह जे.पी. जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप उनको सूली पर मत टांगिएगा। "Unless we have auto-suggested ourselves into believing that the general elections.... had expressed the will of the people".

सर, अब मैं अगले पेराग्राफ में जा रहा हूं, चूंकि यह बड़ी लम्बी चिट्ठी है। "That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is deep and widespread political discontent among the people. The people of India might be kept in the dark about the true state of affairs in the Valley, but every chancellery in New Delhi knows the truth..."

सर, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार चली, तो मानो जैसे political communication का कत्ल हुआ। मैं समझता हूं कि उसको भी इस अफ़साने में आना चाहिए कि political communication का कत्ल हुआ और उसकी वजह से घाटी में 30 साल पुरानी छवियां वापिस आई हैं।

सर, बात इतने पर ही नहीं रुकेगी। जय प्रकाश नारायण जी ने 1956 में एक चिट्ठी नेहरू जी को भी लिखी थी। "May I also take this opportunity of saying a word about Kashmir? Merely to put my views before you, without in the least wanting to criticize or influence, what I have learnt, there is a widespread discontent in the Valley. All men have to live upon this Earth as brothers, irrespective of what national frontiers divide them. World peace is possible upon no other hypothesis."

Sir, I believe, J.P. के चाहने वाले और उन्हें फॉलो करने वाले कुछ लोग उधर भी हैं। क्या हम उनके दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते? हमारा पूरा दृष्टिकोण इस चीज़ पर है टिका है कि इस narrative को चलाओ। आज यह narrative चलाया जा रहा है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं। हम आपकी संवैधानिक मान्यताओं की कमी के विरोध में हैं। हम constitutional history के brutal murder के खिलाफ हैं।

[प्रो. मनोज कुमार झा]

सर, अगर हिन्दुस्तान की मोहब्बत का कोई पैमाना हो, तो यहां की डिस्पेंसरी में उसकी मशीन लगा दीजिए और तौल लीजिए कि हिन्दुस्तान के लिए किसमें कितनी मोहब्बत है? हममें आपसे कम मोहब्बत नहीं होगी।

सर, मैं इतना ही आग्रह करूंगा, मैं कॉशन कर रहा हूं, माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं सदन में होऊं या न होऊं, लेकिन मैं माफी के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज हमने कश्मीर के फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल दिया है। पांच साल के बाद आप मेरी बात मानोगे। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जो narrative चला रहे हो, चलाओ, लेकिन इस मुल्क में कोई भी narrative अमृत पीकर नहीं आया है। हमने पुराने कई narrative खत्म होते देखे हैं।

मैं हाथ जोड़ कर, सिर्फ यही विनती करता हूं कि अहंकार त्यागिए, कश्मीरियों को गले लगाइए और तब कश्मीर अपने आप आपके गले से लग जाएगा। मुझे यह दुःख है कि आपने उसे अलग कर दिया है। आज ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप बोलिए, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं कभी टोका-टाकी नहीं करता हूं। ...**(व्यवधान)**... मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः झा जी, आप इधर देख कर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झाः वैसे भी आपके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और जिस प्रकार से यहां लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो बड़ा डर भी लगता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप चेयर की तरफ देख कर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झाः अठावले साहब, इस जन्म में तो यह संभव ही नहीं है। Any way, Sir, आगे मैं क्या कहूं? मैं बस इतना ही कहूंगा ...**(व्यवधान)**... दोस्तों ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप इधर देख कर बोलिए और आप अपनी बात कन्क्लूड भी करिए।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर दिन ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक दृष्टि भी होनी चाहिए न। सुनने की संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज इतिहास दर्ज कर रहा है। आज हो सकता है कि हम में से कुछ को fictitiously villain बना कर पेश किया जाए। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ कि पाँच साल बाद जेपी की यह चिट्ठी पढ़ी जायेगी और कहा जायेगा कि सदन में कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया। जय हिन्द, सर!

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I stand to oppose this Statutory Resolution and the Bill that has been introduced which is unconstitutional and unwarranted. Sir, what are the powers vested with the Union Government to bring in this Bill and the Statutory Resolution? Why I said it is unconstitutional? Article 370(3) only provides the power to the Government to withdraw; Article 370 could be withdrawn. What does Article 370(3) say? "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Article, the President may, by public notification, declare that this Article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify." The proviso is very important. "Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification." Sir, the Legislature is not there. It is only the President's Rule. If at all, it has to be done, it is only with the consent of the State Legislature. Moreover, Sir, the Supreme Court, the Constitution Bench, in case of Sampat Prakash vs. State of J&K has categorically given the judgement that Article 370 is permanent and it is not temporary. Sir, the architects of the Constitution, the members of the Constituent Assembly were all elected, were all people who were from various quarters, from various areas; and they were all experts. After deep deliberations, this Article 370 was provided giving special status to the people of Kashmir for various other reasons. All these days, they were enjoying. Okay, if at all you take a decision, have you taken the views of the people there? Have you taken the views of the State Legislature which is I the representative of the people? The stakeholders have not yet been consulted. All of a sudden, the Government comes with a Statutory Resolution and a Bill? What we are afraid of is, will it stop with this? Tomorrow, the same powers will be vested with you and you can convert any State into a Union Territory. It may be Tamil Nadu, it may be Bihar, it I may be Bengal, it may be Maharashtra. So, this apprehension should not come because the Article is given a very, very safe protection. This provision should be followed. That is what we are saying. Article 370(3), the proviso, has not been utilised slightly. It is only two months ahead of the election. We could wait till then. If at all you are justifying the decision you have taken, you can wait till then and the State Legislature's consent could be taken up as per the Constitution. But now because you are imposing the President's Rule, taking all the powers and doing such a step, I don't know what the implications will be, what the people of Kashmir will consider about this decision.

[Shri Tiruchi Siva]

Sir, there is another thing on which I would like to say, I have my apprehension again. It may be right or wrong. Now that this 370(3) is withdrawn, 35A has gone, anyone can go there, and it is a paradise on Earth. All the multinational companies would come there. Again, Sir, it would become not 'ours'. So, that is the people's feeling there. So, what we say is, if at all you take a decision which you could justify, you should have taken it only with the consent of the State Legislature after it has come into existence. But it has been done when the President's Rule is there. That is why we say, Sir, what is the urgency? You may justify it. I do not dispute that. If you can convince us or the people of Kashmir, then it is okay, but what was the urgency when the State legislature is not in there? When the elected Government is not there, the President's Rule empowering them to use a provision of the Constitution is totally unacceptable. Again, I say, this House is the House of Elders, the Council of States. We are afraid. Can you give us an assurance that this would not be repeated with any other State? The same could happen again because you have been bestowed with powers. We oppose this because it is against the Constitution and it has not taken into consideration the views of the stakeholders, the people of Kashmir and the elected State Legislature there. That is why, we are opposing this Bill.

श्री हिशे लाचुंगपा (सिक्किम): उपसभापति महोदय, मैं सदन में लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित संकल्प एवं विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह कदम निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा और देश को सही रूप से शांतिपूर्वक चलाने में मदद करेगा, परन्तु सरकार के इस कदम की तुलना Article 371(f) से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिक्किम अपने आप referendum के माध्यम से भारत में शामिल हुआ था। सिक्किम एक संवेदनशील और सीमा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, जहां शांति और प्रगति व्यापक रूप से देखने को मिलती है। हमारा प्रदेश देश के सभी national festivals, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाता है और यहां की सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़ा है। सभी त्यौहार हमारे यहां उसी उत्साह और जोश से मनाए जाते हैं, जैसे किसी अन्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। हमारे बोडोलैंड के साथी, श्री बिश्वजीत दैमारी ने यहां बोडोलैंड यू.टी. के निर्माण की मांग की, मैं उसका समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सदन में लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित संकल्प और विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. Ravindra Kumar; not present. Shri Binoy Viswam; not present. Shri Shamsher Singh Manhas.

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू और कश्मीर): आदरणीय उपसभापति साहब, मैं समझता हूं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। सदन में जो संकल्प लाया गया है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि - मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा यह संकल्प सभा में लाया गया, जिस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की, मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, 1947 से लेकर आज तक, हमेशा से धारा 370 के खिलाफ रहे हैं। धारा 370 के माध्यम से जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग दर्शाया जाता था, हम सोचते थे कि उसे कैसे हटाया जाए? इसका प्रयास आज हुआ है। हमारे पूजनीय जी. एल. डोगरा जी द्वारा एक नारा दिया गया था कि यहां दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। स्टेट का प्राइम मिनिस्टर अलग होता था और देश का प्राइम मिनिस्टर अलग। वहां का संविधान अलग था और देश का संविधान अलग, वहां का निशान अलग था और यहां का निशान अलग। ये तीनों चीज़ें अलग थीं, जो भ्रम पैदा करती थीं कि जम्मू-कश्मीर भारत के साथ है भी या नहीं! ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहे? सर्वप्रथम देखा जाए तो 26 अक्तूबर, 1947 तक, वहां के महाराजा जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जोड़ने नहीं दिया जाता था। अगर सरदार पटेल जी को उसी समय दिया जाता, तो यह जम्मू-कश्मीर भी उसी तरह होता, जैसे पूरे देश में 582 रियासतों का विलय हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं जोड़ने दिया। उस समय के प्रधान मंत्री कहने लगे कि नहीं, इसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा, सदैव इसको बचाने का प्रयास करूंगा। उनकी दोस्ती एक व्यक्ति, शेख अब्दुल्ला से हुई थी। वे चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला द्वारा ही जम्मू-कश्मीर में ये सारी चीजें बनाई जाएं। उसके खातिर उसको बीच में डालने का प्रयास किया गया। अगर उसको बीच में नहीं डाला जाता और सरदार पटेल जी अगर होते, तो आज यहां पर जो बात चल रही है, जिस प्रकार का वातावरण यहां पर बनाया गया है, शायद यह वातावरण बनाने की जरूरत नहीं थी। किन्तु यह जो हुआ, इसका कारण यह है कि हमें हमेशा ही जम्मू-कश्मीर में बारे में जिस प्रकार विचार करना चाहिए था, जिस प्रकार सोचना चाहिए था, वह नहीं सोचा गया। 1947 से लेकर आज तक कितने आंदोलन हुए होंगे, हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने शहादत दी होगी। मैं एक शहादत की बात नहीं करता, उस समय कई कार्यकर्ताओं द्वारा शहादत देकर इस जम्मू-कश्मीर की धारा 370 के बारे में विरोध किया होगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के द्वारा उस समय एक बहुत बड़े नेता के रूप में वहां के लोगों को संजो कर एक आंदोलन किया गया था और आंदोलन करने के उपरांत उनके एक हाथ में Constitution of India होता था और दूसरे हाथ में तिरंगा होता था, इसलिए उनको जेल के सींखचों में डाला गया था। आज भी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। दिन-दहाड़े 18 लोग गोलियों से भून दिए गए, आज भी उनकी शहादत की मज़ार वहां पर बनी हुई है। यह क्यों बनी हुई है, उसका कारण क्या है? यदि कोई भारत के संविधान को पकड़ा है, भारत का तिरंगा पकड़ा है, तो उसको गोलियों से भून दिया जाए? उसके जिम्मेवार कौन थे? उसके जिम्मेवार एक वैसे ही व्यक्ति थे, जैसे आज हमें दृश्य देखने को मिला। यहां पर एक आंदोलन हो रहा था, यहां पर बातचीत चल रही थी... संविधान को जिस प्रकार से फाड़ने

[श्री शमशेर सिंह मन्हास]

का प्रयास किया गया, फाड़ने वाला व्यक्ति तो फाड़ ही रहा था, लेकिन उसको संविधान किसने दिया? संविधान देने के बाद इनकी लड़ाई लड़ी गई, वहां पर बचाने वाला कौन था? ऐसे लोगों को punish करना चाहिए या नहीं चाहिए? वही वातावरण वहां का बना हुआ था। यह आप सब जानते हैं। उस समय के हमारे पूर्वज संविधान को ले नहीं सकते थे, तिरंगे को हाथ नहीं लगा सकते थे और जिस प्रकार से 1953 में जिनके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने चाहते थे, उसी व्यक्ति को बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जेल के सींखचों में डालने का प्रयास किया। उसका कारण यह था कि वह भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे और भारत को तोड़ना चाहते थे। इस प्रकार का वातावरण रहा। इसी वातावरण में कई चुनाव आए। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर पाते थे। हम चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने के लिए जाते थे, तो हमारा पर्चा रिजेक्ट कर दिया जाता था। पहली बार तो ऐसी नौबत आई कि सारे के सारे, जितने भी हमारे नामंकन पत्र भरे गए, सारे के सारे खारिज कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा जम्मू-कश्मीर को जिस प्रकार से देखा गया, जम्मू के साथ discrimination, लद्दाख के साथ discrimination और खास करके कश्मीर को बढ़ावा नहीं दिया गया। कश्मीर में वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया। आज तक उसको बचाने के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने, फौजियों ने और वहां के व्यक्तियों ने, civilians ने जिस प्रकार से प्रयास किया, उसको हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं। वहां आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। अगर यह धारा 370 नहीं होती, तो शायद आतंकवाद भी नहीं होता। बॉर्डर पूरी तरह अपना होता, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता। चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई हो, हमने अपनी जगह..... 1965 में 90 हजार लोगों को पकड़ा भी गया, तो फिर हमने सम का क्षेत्र देने का प्रयास किया। ऐसे क्यों किया? अगर 90 हजार फौजी पकड़े गए, तो उनको छोड़ने के एवज़ में अपनी जगह वापस क्यों नहीं ले सके? हम अपनी जगह वापस नहीं ले सके और इस प्रकार का atmosphere बनता गया। जम्मू के लोगों के मन में, कश्मीर के लोगों के मन में एक चिंता सता रही थी कि वह कौन-सा व्यक्ति होगा, जो हमें बचाने के लिए आएगा, जो हमारे साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं होने देगा? हमें इस प्रकार की बात करनी होगी, अन्यथा जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ था, जिस प्रकार आगे जूझने का प्रयास हो रहा था, इसके लिए हमने कई आंदोलन किए। मैंने पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में केवल एक आंदोलन के बारे में बताया, अन्यथा हमने वहाँ एक नहीं सैकड़ों आंदोलन किए हैं। नित्य-प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोग उस समय से लेकर आज तक लगातार आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन पिछले पाँच वर्षों से जब अपनी सरकार आई, उस दिन से हम थोड़ी-सी चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्यथा कई सरकारें आईं। मैं कहना चाहता हूँ कि 67 years तक जिनकी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने किया क्या, उन

सरकारों ने दिया क्या और उन सरकारों ने करना क्या था? मैं एक विकास के मुद्दे पर आता हूँ। धारा-370 होने से क्या जम्मू-कश्मीर में कोई फैक्टरी लग सकती है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, कोई बहुत बड़ा कारखाना खुल सकता है? आज हमारे यहाँ के 9 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में एक जगह से दूसरी जगह कारखाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई वहाँ भी लगता, यह हम भी चाहते हैं, तो इससे हमारे नौजवान भी वहाँ पर अपनी रोजी-रोटी का साधन बना सकते थे। आज हम रोजगार के लिए बहुत ही मुश्किल से जी रहे हैं। हमारे नौजवान दिन-प्रतिदिन तड़प रहे हैं। जो अच्छे टेलेंटेड हैं, उनके पास हर प्रकार दिमाग है, वे अच्छी तरह अंग्रेज़ी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, सभी भाषाओं में गुणी हैं, लेकिन इससे क्या हुआ? इतना होने के बावजूद भी कुछ करने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे नौजवानों को देखा नहीं गया। कश्मीर से पाँच लाख से ज्यादा refugees को निकाला गया। वहाँ से पंडितों को क्यों निकाला गया? कहा गया कि आतंकवाद है, उग्रवाद है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर धारा-370 न होती, तो वहाँ पर आतंकवाद दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जो refugees पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनमें डेढ़ लाख से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, जो जम्मू में ही बस रहे हैं। उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। नौकरी तो लग नहीं सकती, रोजगार तो दूर की बात है, उनको पढ़ने के लिए भी मुश्किल होती है। वे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास State subject नहीं है। उनको जो citizenship मिलनी चाहिए थी, इस धारा-370 की बदोलत वह आज तक नहीं मिली। आज इस संकल्प के पारित होने के बाद वहाँ का जो नौजवान है, खास कर जो डेढ़ लाख लोग हैं, वे खुशी से झूम रहे होंगे। जम्मू में आज जिस प्रकार का खुशियों का माहौल बना हुआ है, वह इस प्रकार का बना हुआ है कि हमारे लिए भी किसी ने सोचने का प्रयास किया है। अगर ऐसा नहीं सोचा जाता, तो हम दिन ब दिन डरते रहते, आए दिन आंदोलन करते रहते, उन आंदोलनों के बाद हमें कुछ मिलता या नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने आदरणीय नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें भी इस योग्य समझा कि हम भी भारत की श्रेणी में आ सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है। "भारत माता की जय"

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Deputy Chairman, Sir for giving me this opportunity to participate in this debate on two Bills, that is, the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019. At the outset, I have to recall, over the last six decades, what has been going on in Jammu and Kashmir. Article 370 was inserted as transitional provision in 1949. Since 1949, what has been going on in Jammu and Kashmir! Thousands of people have been killed, terrorists activities have increased and developmental activities have been curtailed. Now, by virtue of this Article 370 and its implementation, the people living in areas along the international border in Jammu

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

and Kashmir did not get the benefits in respect of recruitment, education etc. By virtue of this Reservation Bill, they may now get the benefits. The people of Ladakh region, which was a part of Jammu and Kashmir, has this long-pending demand to treat this region as a Union Territory. By virtue of this Bill, that can also be fulfilled. The people of Jammu and Kashmir had been living with an insecure feeling. There was no national security for the last seven decades. The Governments, who were in power, irrespective of whoever was in power, could not provide sufficient security to them for leading peaceful living. However, I must congratulate the Government and the hon. Home Minister at this juncture. After the introduction of this Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, at least, this time, with the strong implementation of this Bill, the people of Jammu and Kashmir must be feeling relieved from all these tensions and they can live happily now. Now, Jammu and Kashmir has now become a part of our country. Being a lawyer I used to come across each and every Bill passed by the Parliament, where we used to write that it is implemented and applied everywhere except Jammu and Kashmir. Now, Jammu and Kashmir has also become a part of our nation. In view of the national security and national integrity, and for the purpose of equal development with other States as provided under the Constitution of India, now, the people of Jammu and Kashmir will also get the same benefits of development, reservation, employment and in all walks of life.

I think the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019, should be effectively implemented forthwith. The implementation of this Bill will remove the difficulties faced by the people of Jammu and Kashmir. Now, we can provide them equal opportunities along with the people of other parts of the country. Apart from that, even day-to-day activities also cause a lot of feelings of insecurity in their minds. Every day, they have to participate in some activities in respect of their functioning and everything. In view of the Statement of Objects and Reasons mentioned in the Bill, now a message can be sent to the whole nation, and also to the people of Jammu and Kashmir, that the whole nation is one and Jammu and Kashmir is part of the nation. The desires and dreams of the Kashmiris had not been fulfilled for the last six decades. Now, I hope and wish that this Bill will bring happiness in their lives. On behalf of the Telugu Desam Party, under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, we support this Bill and we hope that

it will work out to be beneficial for the people of Jammu and Kashmir. I appreciate and once again congratulate the hon. Home Minister for bringing this Bill. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: एलओपी, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी। जो सदस्य वैल में बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे अपनी सीट्स पर जाएँ और माननीय एलओपी के विचार सुनें। ...**(व्यवधान)**... जो भी सदस्य वैल में बैठे हैं, वे कृपया अपनी सीट्स पर जाएँ और एलओपी के विचार सुनें। I request them all to go to their respective seats.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, जिस बिल पर मुझे आज बोलना था और जो बिल राज्य सभा में आज चर्चा के लिए लिस्ट में आया था, वह था- Reservation for Economically Weaker Sections. यह बिल कुछ महीने पहले पूरे देश के लिए इस सदन में आया था और आज यह इस सदन में चर्चा के लिए आया था। महोदय, मैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो सोच कर आया था, अब इस चर्चा का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि इस बीच में आज, शायद जब से मैं पैदा हुआ हूं, जम्मू कश्मीर में एक तो वर्ष 1947 का इतिहास था, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद और मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ, जो हमारे भारत का सिर है, एक दिन यह सिर काट दिया जाएगा। मैं सोच कर आया था कि मैं Economically Weaker Sectionsके रिजर्वेशन के बारे में यह कहूंगा कि 70 साल के बाद देश में यह बिल आया है तो यह 4 महीने और इंतज़ार कर सकता था, ताकि विधान सभा में, वहां जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जो अलग-अलग strata से ताल्लुक रखते हैं, upper caste, backward caste, minorities, minorities भी अलग-अलग हैं, वहां Hindu minority है, Sikh minority हैं, Christian minority है, Jain minority है, वहां लद्दाख के लोग हैं, वहां जम्मू के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा करते, मैं तो अपनी तरफ से इसके सपोर्ट में आया था, क्योंकि मैं मानता हूं कि गरीब लोग सिर्फ एक धर्म में या एक caste में नहीं होते। मैंने अपने स्टेट में ही देखा है। मैंने upper caste के राजपूत भी गरीब देखें हैं, upper caste के ब्राह्मण और मेरे businessmen भाई और बहनें भी गरीब देखी हैं, मैंने मुस्लिम, दलित, backward, forward के ग़रीब भी देखे हैं। यह एक ऐसा अच्छा कदम है कि हम बजाय caste के, जिसमें हम हर वक्त जाते हैं। एक प्रोविज़न कम से कम उन गरीबों के लिए है। गरीबी अपने आप में एक धर्म भी है और एक जाति भी है और यह हर धर्म, हर जाति और हर caste पर लागू होती है। यह अच्छा प्रोविज़न है। मैं सिर्फ इतनी सलाह देना चाहता था कि यहां की बजाय वहां की विधान सभा में जब दो महीने, तीन महीने या चार महीने में इलेक्शन होते, तब इस पर चर्चा होती। जहां 70 साल में यह लागू नहीं हुआ, वह अगर 6 महीने बाद भी लागू होता तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख परेशान था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात को ढाई बजे सोया था, जम्मू-कश्मीर से भी फोन आते थे और पूरे देश से फोन आते थे। अलग-अलग अफ़वाहें थीं, कोई कह रहा था कि जंग हो रही

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

है, कोई कह रहा था कि स्टेट के दो हिस्से और कोई कह रहा था कि तीन हिस्से किए जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि delimitation हो रही थी, कोई यह कह रहा था कि Article 370 खत्म होगा, कोई यह कह रहा था कि Article 370 रहेगा, सिर्फ 35 (A) खत्म हो जाएगा। यह टेलीफोन आना और चिंता सिर्फ कश्मीर वैली से नहीं थी, बल्कि लद्दाख से भी थी और जम्मू से भी थी। जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो राजौरी पुंछ से लेकर जम्मू, Kathua और Samba से लेकर, Udhampur से लेकर Ramban, Banihal और किश्तवाड़ तक बात करता हूं। मैं जम्मू शहर की बात नहीं करता हूं कि जम्मू, शहरी जम्मू नहीं है, 10 districts हैं और इन districts में सब धर्मों की आबादी है। इन 10 districts में जम्मू के हिन्दुओं की आबादी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और सिख भी हैं। शायद एक विचारधारा करने के लिए चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन जिन सबके नाम लिए, उनके लिए यह चिंता का विषय था, लेकिन आज जिस तरह से अचानक atom bomb फटता है, वैसे ही सुबह इस सदन में हुआ। माननीय गृह मंत्री जी, जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि एक हफ्ते से जिन एक-एक चीज़ के लिए आशंकाएं महसूस की जा रही थीं, जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को जम्मू-कश्मीर भेजा गया था, जब से ए.डी.जी.पी., जे.के.पी. ने सभी एसपीज़ को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर सप्लीमेंट किया जाएगा। Hospitals में written advisory दी जा रही थी कि कोई भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जाएगा। जहां पर कारगिल की हिल काउंसिल थी, मुझ ो लेह का नहीं मिला, लेकिन मुझे कारगिल के डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर की कॉपी मिली कि कोई भी ऑफिसर निचले लेवल तक छुट्टी नहीं ले पाएगा। यह 27 तारीख से... और होम मिनिस्ट्री की एडवाइज़री लिखित में है कि सभी यात्री, जो अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए गए हैं, वे वापस आना शुरू कर दें, जो पर्यटक हैं, वे वापस आएं और जो एडवाइज़री में नहीं था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एन.आई.टी. है, उसमें देश भर के 500-600 से ज्यादा बच्चे कश्मीर वादी में पढ़ते हैं, उनके लिए शनिवार सुबह बसें लगाई गई थीं और उनको evacuate किया जा रहा था, जो एडवाइज़री में नहीं था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन by word of mouth जो हिंदुस्तान भर के लाखों मज़दूर हैं, जो गर्मियों में वहां मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मजदूर, कुछ carpenters, कुछ mason और कुछ contractors हैं, जो सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग्ज़ बनाने के लिए, उनको भी भेजा जा रहा था, तो एक हफ्ते से ही जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रांत के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक भय, एक खौफ और एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा? मैंने जिन चीज़ों का उल्लेख किया कि लोगों को जिस चीज़ का डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू-कश्मीर का, भारत का या दुनिया का... क्योंकि जम्मू-कश्मीर वर्ष 1947 से ही दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा, तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट हो, कश्मीर में कई एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा

विदेशी मुल्कों में हैं, शायद उनमें से किसी ने भी यह अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इन चार-पांच चीज़ों में से एक नहीं, चार की चार चीज़ें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी और उसी दिन पास भी करेंगे।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बिल 57 पन्नों का है। यहां एक-एक पन्ने का बिल भी आता है और हम यहां रोज़ लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पार्लियामेंट रूल्स में है कि दो दिन पहले वह बिल आना चाहिए, ताकि हम पढ़ें और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल्स होते हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान के नक्शे में से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। I am talking about the States. हमारे 29 स्टेट्स थे - आप 28 कर रहे हैं तो एक स्टेट तो खत्म हो गया। क्या आप यह कह सकते हैं, ...**(व्यवधान)**... Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. क्या आपके इस बिल में 29 स्टेट्स हैं? अगर नहीं हैं तो एक स्टेट खत्म हो गया है न। आप बताइए, उठकर जमा करके मुझे बताइए कि आज इस बिल को पास करने के बाद 29 स्टेट्स होंगे। तो एक स्टेट नहीं है, वह हिन्दुस्तान के नक्शे से खत्म हो गया। ...**(व्यवधान)**... आप क्या बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, ज़रा समझा करिए।

सर, तो एक स्टेट नहीं होगा और वह कौन सा स्टेट होगा - वह स्टेट सिर्फ सिर नहीं है, सरताज नहीं है, वह चीन के साथ लगा हुआ है, वह पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, वह पीओके के साथ लगा हुआ है। जहां चीन ने हमला किया, उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, पाकिस्तान के साथ तीन-चार लड़ाइयां हुईं, उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू-कश्मीर की अवाम ने, जम्मू-कश्मीर की जनता ने, जम्मू-कश्मीर की mainstream political parties ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया है। वहां पर हमारे जो sources हैं -- मैं वहां पर चीफ मिनिस्टर रहा हूं, हमारे इस तरह के स्टेट्स में, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं - और एक नहीं, दो देशों के साथ – वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं होंगे, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब तक वहां के लोग आपको वहां के hideouts नहीं बता देंगे, तब तक चाहे आप एक हज़ार साल तक लड़ते रहें, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन यहां पर हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए - क्योंकि हमारे लोग, जो nationalist लोग थे, जो हिन्दुस्तान में रहना चाहते थे और हिन्दुस्तान को अपना देश मानते थे, वे हमेशा हमारी security forces को - चाहे वह Army हो, Army Intelligence हो, IB हो या RAW हो - इन्हें खबर देते थे -- और सबसे ज्यादा source हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उन्हें ज्योग्राफिया मालूम था, उन्हें लोग मालूम थे। वहां जितनी achievements हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा credit मैं कश्मीर के लोगों को देता हूं, जिन्होंने forces की मदद की है - armed forces की, paramilitary forces की और security forces की - और इस विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने हिन्दुस्तान के साथ रहने के लिए

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

Accord किया, Accession किया। उन्होंने पाकिस्तान को chose नहीं किया, कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को एक धर्म होने के बावजूद अपना देश नहीं माना। उन्होंने हिन्दुस्तान को अपना देश माना, हिन्दुस्तान के secularism को माना, उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ - यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ उस वक्त के लोग आपके पास आए थे - हम तो आज़ाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास है - लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं, जो आज भी ज़िंदा हैं, उन्होंने जो विश्वास किया था और जो यहां रहे - उन्होंने विश्वास किया था, पंडित जवाहर लाल नेहरू पर, उन्होंने विश्वास किया था, सरदार पटेल पर कि ये हमें सुरक्षा देंगे। वे हमारे कल्चर को नहीं बिगाड़ेंगे, वे हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। शेख़ अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, अफज़ल बेग और महाराजा हरि सिंह, सबको मैं बधाई देता हूं और बाद में डॉ. कर्ण सिंह से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी... इन कश्मीर के लोगों ने, आवाम ने... और जब-जब भी आवाज उठी अलैहदगी की, तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये mainstream political parties मारी गई हैं। ये हजारों, सैकड़ों जो बेवाएं बनी हैं, कुछ को तो उन militants द्वारा मारे गए या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए हैं, हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई और CRPF भी मारी गई। यह इतनी कुर्बानियों के बाद, आज जब जम्मू-कश्मीर पूरा मेनस्ट्रीम में था, आज जम्मू-कश्मीर में रहने वालों की शादियां पूरे देश में हो रही थीं, inter-religion शादियां हो रही थीं, आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटिग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ, आज आपने उसको डिसडइंटिग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी है। कानून से इंटिग्रेशन नहीं होती है, इंटिग्रेशन दिल से होती है। इससे इंटिग्रेशन नहीं होती है कि हमने कितने कानून बनाए। दिल मिल गए, तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया भर के Constitutional Amendment लाइए, दिल नहीं मिलेंगे, तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बोद्ध की बात करता हूं। जम्मू-कश्मीर से मैं एक सम्प्रदाय को रिप्रेशेन्ट नहीं करता हूं, एक धर्म को रिप्रेशन्ट नहीं करता हूं, मेरे लिए सभी एक हैं। सभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं। जम्मू-कश्मीर के साथ आपने इतना मज़ाक किया। 1947 से लेकर महाराजा हरि सिंह, 1947 के बाद the Prime Minister of Jammu and Kashmir and Sadar-i-Riyasat means, the President of Jammu and Kashmir. सदर-ए- रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है, राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? चार प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख़ अब्दुल्ला, 5-6 साल, शेख अब्दुला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, 14-15 साल, फिर ख़्वाजा समसूद्दीन और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक और गुलाम मौहम्मद सादिक के वक्त में वे प्राइम मिनिस्टर भी रहे और चीफ़ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेज किया। राष्ट्रपति

से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ़ मिनिस्टर बन गया, तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हुआ और आपने उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पर खत्म किया। यह शर्म की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर, आपने जम्मू-कश्मीर को एक non-entity बना दिया, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना दें, ताकि आप क्लर्क की appointment भी यहीं से करें। क्या होता है, हम देख रहे हैं कि चार साल से पुडुचेरी का बेचारा चीफ़ मिनिस्टर रोज आता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका काम नहीं करने देता है, हर चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाज़त लेनी पड़ती है। यह आप कानून लाए हैं, जम्मू-कश्मीर के लिए। जम्मू-कश्मीर इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज़्म की वजह से दुनिया में जाना जाता था और आप उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाने जा रहे हैं। जम्मू के मेरे भाई, मैं इनसे कहूंगा कि आप यह सोचो कि आप यू.टी. में हो, अब आप जम्मू-कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू, मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का हूं। ...**(व्यवधान)**... Union Territory, आप जरा गुजरात बनाकर देखिए। ...**(व्यवधान)**... इसे आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, आप बिल लाइए। यह कहना बड़ा आसान होता है ...**(व्यवधान)**... यह कहना बड़ा आसान होता है। ...**(व्यवधान)**... जिस स्टेट का चिल्ला रहा है, जरा अपनी स्टेट में कल लाइए और फिर देखिए कि क्या हाल होगा? यह कहना आसान होता है, लेकिन इतनी आसानी से इस राजनीति को मत लीजिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप भारत का एक इतिहास बदल रहे हो। आप पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाइए कि आपको पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट का इतिहास मिटा दिया है, उसको मसल दिया है। उसको एक स्टेट से Union Territory बना दिया है। आपको खाली geography मालूम है, जम्मू-कश्मीर की हिस्ट्री मालूम है। आपको यह मालूम है कि लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं - एक लेह और दूसरी कारगिल। आपको यह मालूम है कि लद्दाख में शिया मुस्लिम्स की 52 परसेंट आबादी है और बौद्धिस्ट 48 परसेंट हैं। इन 52 परसेंट में कुछ और भी हमारे 2-4 परसेंट धर्म हैं, बौद्धिस्टों में भी कुछ 2 परसेंट और हैं, overwhelming majority amongst Buddhists. आज से बीस साल पहले तुमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी, वह बौद्धिष्ट स्टेट अब उसको कहते नहीं हैं, उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी। अब उलटा हो गया है, अब लद्दाख मुस्लिम मेज़ोरिटी बन गया है। बौद्धिष्ट, हमारे लेह के भाई तीस साल पहले से Union Territory चाहते थे और कारगिल वाले लद्दाख से निकलकर Kashmir province में आना चाहते हैं, क्या यह किसी को मालूम है? ये कारगिल वाले ऐसा चाहते हैं। सुनिए, आप लॉ मत पढ़िए, हिस्ट्री... आप यह पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 1991 में मैं Union Minister था। कई महीनों से लेह में Hill Council की हड़ताल चल रही थी और कारगिल में Anti Hill Council की चल रही थी। मैं Government of India की तरफ से negotiation करने गया था। जो आपके एम.पी. थे, अभी पिछली बार में, वे उसके Chairman थे और मेरी पार्टी के, लेजिस्लेचर पार्टी के leader, जो अभी आपका dissolve करने का प्वाइंट था, वे उसके General Secretary थे। मैंने इनके forum में पहली मीटिंग की थी और कई मीटिंगों के बाद उनसे agreement किया था कि हम आपको U.T. नहीं

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

देंगे, पर हमने उन्हें Hill Council पर मनवा लिया था, लेकिन कारगिल वालों की तब भी मांग थी और आज भी है कि हमें लद्दाख के साथ नहीं रहना है। हम लद्दाख की जगह तो छोड़ नहीं सकते, पर हमें कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को Province का दर्जा दिया, आप जरा पाँच मिनट में देख लेते, अगर सिर्फ लेह में उसकी केपिटल रखते। आपको भी मजबूरी में लेह में भी उसकी केपिटल रखनी पड़ी और कारगिल में भी रखनी पड़ी। वह इसी मजबूरी में रखना पड़ा, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमें कश्मीर की प्रोविंस में ले जाओ। क्या आपको मालूम है कि एक यू.टी. में यह प्रॉब्लम है? अब चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे? लद्दाख, जो कि हमारे जम्मू-कश्मीर का सबसे peaceful region था, आपने वहाँ के बौद्धिस्टों और वहाँ के शिया मुस्लिम्स के बीच एक नई जंग शुरू कर दी है। अब जम्मू और कश्मीर को यू.टी. किया है और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, आप हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये वहाँ की राजनीति से जूझ रहे हैं, लेकिन आप एक आईएएस ऑफिसर को, Joint Secretary को या अपनी पार्टी से किसी व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएंगे और वह जम्मू-कश्मीर के मसले हल करेगा। कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप सिर्फ हिन्दुस्तान पर हुकूमत नहीं करते, पूरे विश्व पर हुकूमत करते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपकी समझ में नहीं आई कि अब जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएगा! इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है। मुझे अफसोस आपकी सोच पर है। आप तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो क्या आप पुराने भारत को बिगाड़ देंगे, खत्म कर देंगे? तोड़, फोड़, जोड़ और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए आप भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के culture के साथ वोट लेने के लिए यह खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत हो गया। यह भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा, जिस दिन यह कानून पास होगा। हिन्दुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में यह काला धब्बा है कि आज आप जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, 35-A खत्म कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ कर delimitation कर रहे हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान के नक्शे से वह कश्मीर, जिसके लिए कहते हैं 1947 में जब बाहर से, पाकिस्तान से लोग आए थे, तो कश्मीर में नारा चलता था, "जिस कश्मीर को खून से सींचा, वह कश्मीर हमारा है", उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पाँव तले रौंद दिया है और आपने वह इतिहास मिटा दिया है। भारत का इतिहास और हिन्दुस्तान के लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में जिन हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की सोच है, वे कभी भी आपके इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप majority से, अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप असफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** مانئیے ڈپٹی چیئرمین سر، جس بل پر مجھے آج بولنا تھا اور جو بل راجیہ سبھا میں آج چرچا کے لئے لسٹ میں آیا تھا، وہ تھا Reservation for Economically Weaker Sections. یہ بل کچھ مہینے پہلے پورے دیش کے لئے اس سدن میں آیا تھا۔

مہودے، میں اس بل پر چرچا کرنے کے لئے سوچ کر آیا تھا، اب اس چرچا کے معنی ہی نہیں رہے – کیوں کہ اس بیچ میں آج، شاید جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جموں کشمیر میں ایک تو سال 1947 کا اتہاس تھا، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن میرا پیدا ہونے کے بعد اور میری سیاسی زندگی میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ، جو ہمارے بھارت کا سر ہے، ایک دن وہ سر کاٹ دیا جائے گا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ میں economically weaker section کے رزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستّر سال کے بعد دیش میں یہ بل آیا ہے تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا، تاکہ ودھان سبھا میں، وہاں جو لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، پرتی-ندھی ہیں، جو الگ الگ strata سے تعلق رکھتے ہیں، اپر-کاسٹ، بیک ورڈ کاسٹ، مائنارٹیز؛ مائنارٹیز بھی الگ الگ ہیں، وہاں ہندو مائنارٹی ہے، سکھ مائنارٹی ہے، کرشچین مائنارٹی ہے، جین مائنارٹی ہے، وہاں لدّاخ کے لوگ ہیں، وہاں جموں کے لوگ ہیں اور کشمیر کے لوگ ہیں۔ اس پر اور وستار سے چرچا کرتے، میں تو اپنی طرف سے اس کے سپورٹ میں آیا تھا، کیوں کہ میں مانتا ہوں کہ غریب لوگ صرف ایک دھرم میں یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے اسٹیٹ میں ہی دیکھا ہے۔ میں نے اپر کاسٹ کے راجپوت بھی غریب دیکھے ہیں، اپر کاسٹ کے براہمن اور میرے بزرگ میں بھائی اور بہنیں بھی غریب دیکھی ہیں، میں نے مسلم، دلت، بیک ورڈ، فارورڈ کے غریب بھی دیکھے ہیں۔ یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے کہ ہم بجائے کاسٹ کے، جس میں ہم ہر وقت جاتے ہیں۔ ایک پروویژن کم سے کم ان غریبوں کے لئے ہے۔ غریبی اپنے آپ میں ایک دھرم بھی ہے اور ایک جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم، ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ اچھا پروویژن ہے۔ میں صرف اتنی صلاح دینا چاہتا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ودھان سبھا میں جب دو مہینے، تین مہینے یا چار مہینے میں الیکشن ہوتے، تب اس پر چرچا ہوتی۔ جہاں ستّر سال میں یہ لاگو نہیں ہوا، وہ اگر چھ مہینے بعد بھی لاگو ہوتا تو کوئی آسمان گرنے والا نہیں تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے پورا جموں-کشمیر،

---

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

لدّاخ پریشان تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ میں رات کو ڈھائی بجے سویا تھا، جموں-کشمیر سے بھی فون آتے تھے اور پورے دیش سے فون آتے تھے۔ الگ الگ افواہیں تھیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ کے دو حصے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ تین حصے کئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ delimitation ہو رہی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 ختم ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 رہے گا، 35-اے ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹیلی فون آنا اور چنتا صرف کشمیر ویلی سے نہیں تھی، بلکہ لدّاخ سے بھی تھی اور جموں سے بھی تھی۔ جب میں جموں کی بات کرتا ہوں تو راجوری پونچ سے لے جموں، کٹھوا اور سامبا سے لے کر، ادھم پور سے لے کر رام-بان، بریہال اور کشتواڑ تک بات کرتاہوں۔ میں جموں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جموں، شہری جموں نہیں ہے، دس ڈسٹرکٹس ہیں اور ان ڈسٹرکٹس میں سب دھرموں کی آبادی ہے۔ ان دس ڈسٹرکٹس میں جموں کے ہندوؤں کی آبادی ہے، مسلم، کرشچئن، جین اور سکھ بھی ہیں۔ شاید یہ وچار دھارا کرنے کے لئے چنتا کا وشئےنہیں ہو، لیکن جن سب کے نام لئے، ان کے لئے یہ چنتا کا وشئے تھا، لیکن آج جس طرح سے اچانک ایٹم بم پھٹتا ہے، ویسے ہی صبح اس سدن میں ہوا۔

ماننئے گرہ منتری جی جب آئے تو ایسا وِسفوٹ ہوا کہ ایک ہفتے سے جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جارہی تھیں، جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسیز کو جموں وکشمیر بھیجا گیا تھا، جب سے اے۔ ڈی۔ جی۔ پی۔، جے۔ کے۔ پی نےسبھی ایس پیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر سپلائی مینٹ کیا جائے گا۔ ہاسپٹلز میں written advisory دی جارہی تھی کہ کوئی بھی ڈاکٹر چھٹی پر نہیں جائے گا۔ جہاں پر کارگل کی ہِل کاؤنسل تھی، مجھے لیہہ کا نہیں ملا، لیکن مجھے کارگل کے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا۔ یہ 27 تاریخ سے--- اور ہوم منسٹر کی ایڈوائزری لکھت میں ہے کہ سبھی یاتری، جو امرناتھ جی یاترا کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آنا شروع کردیں، جو ٹورسٹ ہیں، وہ واپس آئیں

اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا، جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے، این آئی ٹی ہے، اس میں دیش بھر کے 600-500 سے زیادہ بچے کشمیر وادی میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے شنیوار صبح بسیں لگائی گئی تھیں اور ان کو evacuate کیا جارہا تھا، جو ایڈوائزری میں نہیں تھا، لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن by word of mouth جو ہندوستان بھر کے لاکھوں مزدور ہیں، جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، کچھ مزدور، کچھ کارپینٹرس، کچھ میسن اور کچھ کانٹریکٹرس ہیں، جو سڑکیں بنانے کے لیے، بلڈنگز بنانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جارہا تھا، تو ایک ہفتے سے ہی جموں وکشمیر اور خاص طور سے کشمیر وادی میں اور جموں پرانت کے کچھ ڈسٹرکٹس میں ایک بھئے، ایک خوف اور ایک آتنک کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا؟ میں نے جن چیزوں کا اُلیکھ کیا کہ لوگوں کو جس چیز کا ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہوسکتی تھی، لیکن کبھی بھی جموں وکشمیر کا، بھارت کا ہاریخ کا... کیوں کہ جموں وکشمیر سال 1947 سے ہی دنیا میں چرچہ کا موضوع بنا رہا اور دیش کی چرچہ کا موضوع ہمیشہ بنتا رہا، تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بُدّھیمان آدمی ہو، کتنا بھی عقلمند آدمی ہو، اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا. کشمیر میں کتنا بھی اکسپرٹ ہو، کشمیر میں کئی ایکسپرٹ ہیں لیکن ہندستان سے زیادہ ودیشی ملکوں میں ہیں۔ شاید ان میں سے کسی نے بھی یہ اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں، چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں مانیئے گرہ منتری جی پڑھیں گے اور اسی دن سدن میں لائیں گے اور اسی دن چرچہ بھی ہوگی اور اسی دن پاس بھی کریں گے۔

مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، یہ بل 57 صفحوں کا ہے۔ یہاں ایک ایک صفحہ کا بل بھی آتا ہے اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں امینڈمینٹ دینے کا موقع حاصل نہیں ہوا. ہمارے پارلیمنٹ رولز میں ہے کہ دو دن پہلے وہ بل آنا چاہیئے، تاکہ ہم پڑھیں اور امینڈمینٹ دیں۔ سادھارن بلز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہندستان کے نقشے میں سے ایک اسٹیٹ کو ختم کیا جارہا ہے۔ I am talking about the States.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

ہمارے 29 اسٹیٹس تھے۔ آپ 28 کررہے ہیں تو ایک اسٹیٹ تو ختم ہوگئی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. کیا آپ کے اس بل میں 29 اسٹیٹس ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ایک اسٹیٹ ختم ہوگئی ہے نہ۔ آپ بتائیے، اٹھکر جمع کرکے مجھے بتائیے کہ آج اس بل کو پاس کرنے کے بعد 29 اسٹیٹس ہوں گے۔ تو ایک اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہوگئی۔۔(مداخلت)۔۔۔ آپ کیا بات کررہے ہیں؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ پلیز، ذرا سمجھاکریئے۔

سر، تو ایک اسٹیٹ نہیں ہوگا اور وہ کون سا اسٹیٹ ہوگا وہ اسٹیٹ صرف سِر نہیں ہے، سرتاج نہیں ہے، وہ چائنا کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پی او کے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جہاں چین نے حملہ کیا، اس کے ساتھ لڑائی لڑی پڑی، پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئیں، اس کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سرحدوں کی سرکشا کی، وہاں جموں وکشمیر کی عوام نے، جموں وکشمیر کی mainstream political parties نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاکر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے، چین کا مقابلہ کیا ہے۔ وہاں پر ہمارے جو سورسیز ہیں۔ - میں وہاں پر چیف منسٹر رہا ہوں، ہمارے اس طرح کے اسٹیٹس میں، جو بارڈر اسٹیٹس ہیں، اور ایک نہیں، دو دیشوں کے ساتھ۔ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہونگے، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو خبر نہیں دیں گے، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو وہاں کے hideouts نہیں بتادیں گے، تب تک چاہے آپ ایک ہزار سال تک لڑتے رہیں، آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے۔ کیوں کہ ہمارے لوگ، جو نیشنلسٹ لوگ تھے، جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے، وہ ہمیشہ ہماری سیکیورٹی فورسیز کو، چاہے آرمی ہو، آرمی انٹیلی جنس ہو، آئی بی ہو، سی آئی ڈی ہو یا RAW ہو۔ انہیں خبر دیتے تھے۔۔ اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگوں

کا ہوتا تھا، کیونکہ انہیں جغرافیہ معلوم تھا، انہیں لوگ معلوم تھے۔ وہاں جتنی اچیومینٹس ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ کریڈٹ میں کشمیر کے لوگوں کو دیتا ہوں، جنہوں نے فورسز کی مدد کی ہے۔ آرمی فورسز کی، پارا ملٹری فورسز کی اور سیکیورٹی فورسز کی، اور اس وشواس کے ساتھ کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندستان کے ساتھ رہنے کے لیے Accord کیا، Accession کیا، انہوں نے پاکستان کو chose نہیں کیا، کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کو ایک دھرم ہونے کے باوجود اپنا دیش نہیں مانا۔ انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا، ہندستان کے سیکولرزم کو مانا، انہوں نے ہندستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا، نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ وشواس تھا۔ آج آپ نے اس وشواس کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے۔ جس وشواس کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ اس وقت کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے۔ ہم تو آزاد ہندستان میں پیدا ہوئے، ہمیں تو وشواس ہی وشواس ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے جو وشواس کیا تھا اور جو یہاں رہے، انہوں نے وشواس کیا تھا، پنڈت جواہر لعل نہرو پر، انہوں نے وشواس کیا تھا، سردار پٹیل پر کہ یہ ہمیں سرشکا دیں گے۔

وہ ہمارے کلچر کو نہیں بگاڑیں گے، وہ ہماری تاریخ کو، ہمارے اتہاس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ شیخ عبداللہ، موتی رام بیگرا، افضل بیگ اور مہاراجہ ہری سنگھ، ان سب کو میں بدھائی دیتا ہوں، اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی... ان کشمیر کے لوگوں نے، عوام نے... اور جب جب بھی آواز اٹھی علیحدگی کی، تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ مین-اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ماری گئی ہیں۔ یہ ہزاروں، سیکڑوں جو پیدا ہوئی ہیں، کچھ کو تو ان ملی-ٹینٹس کے ذریعے مارے گئے یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، ہماری فوج بھی ماری گئی، پولیس بھی ماری گئی اور سی-آر-پی-ایف۔ بھی ماری گئی۔ یہ اتنی قربانیوں کے بعد، آج جب جموں – کشمیر پورا مین اسٹریم میں تھا، آج جموں کشمیر میں رہنے والوں کی شادیاں پورے میں ہو رہی تھیں، انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھیں، آج جب پورے دیش میں بچے ہندوستان کے میڈیکل

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، دوسرے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا، آج آپ نے اس کو ڈس-انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی ہے۔ قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے، انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے۔ اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے قانون بنائے۔ دل مل گئے، تو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کے کانسٹی ٹیوشن امینڈمینٹ لائیے، دل نہیں ملیں گے، تو کوئی آپ کو اکٹھے نہیں رکھ سکتا۔ میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودّھ کی بات کرتا ہوں۔ جموں کشمیر سے میں ایک فرقے کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہوں، ایک دھرم کو ریپریزینٹ نہیں کرتا ہوں، میرے لئے سبھی ایک ہیں۔ سبھی جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ لوگ ہیں۔ جموں کشمیر کے ساتھ آپ نے اتنا مذاق کیا 1947 سے لے کر مہاراجہ ہری سنگھ، 1947 کے بعد the Prime Minister of Jammu and Kashmir and Sadar-I-Riyasat means, the President of Jammu and Kashmir. صدر ریاست اردو میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے، راشٹرپتی۔ پرائم منسٹر کتنے رہے؟ چار پرائم منسٹر رہے۔ شیخ عبداللہ، پانچ-چھ سال، شیخ عبداللہ کے بعد بخشی غلام محمد، چودہ-پندرہ سال، پھر خواجہ شمس الدین اور چوتھا پرائم منسٹر غلام محمد صادق اور غلام محمد صادق کے وقت میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے اور چیف منسٹر بھی رہے۔ ہم نے اس کو چینج کیا راشٹرپتی سے گورنر بن گیا پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بن گیا تو شروع مہاراجہ سے ہوا، پرائم منسٹر اور راشٹرپتی ہوا اور آپ نے اسے لیفٹیننٹ گورنر پر ختم کیا۔ یہ شرم کی بات ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر بناکر، آپ نے جموں کشمیر کو ایک non-entity بنا دیا تاکہ آپ چپراسی بھی یہیں سے بنا دیں، تاکہ آپ کلرک کی appointment بھی یہیں سے کریں۔ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سال سے پڈوچیری کا بے چارہ چیف منسٹر روز آتا ہے، ایک لیفٹیننٹ گورنر اس کا کام نہیں کرنے دیتا ہے، ہر چیز کے لئے، سانس لینے کے لئے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے پاس جانا پڑتا ہے، پانی پینے کے لئے بھی اسے لیفٹیننٹ گورنر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ آپ قانون لائے

ہیں، جموں کشمیر کے لئے۔ جموں کشمیر اتہاس کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے،سیاحت کی وجہ سے، ٹورزم کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا تھا اور آپ نے اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنانے جا رہے ہیں۔

جموں کے میرے بھائی، میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ سوچو کہ آپ یونیٹی میں ہو، اب آپ جموں-کشمیر میں نہیں ہو۔ اس میں ہندو، مسلمان کا سوال نہیں ہے، میں بھی جموں کا ہوں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ یونین ٹیریٹری، آپ ذرا گجرات بنا کر دیکھئے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ اسے آج ہی لائیے، میں دیکھہ لیتا ہوں، آپ بل لائیے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ جس اسٹیٹ کا چلّا رہا ہے، ذرا اپنی اسٹیٹ میں کل لائیے اور دیکھئے کہ کیا حال ہوگا؟ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے اس سیاست کو مت لیجئے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آپ بھارت کا ایک اتہاس بدل رہے ہو۔ آپ پاور کے نشے میں اتنا مت گم ہو جائیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اسٹیٹ کا اتہاس مٹا دیا ہے، اس کو مسل دیا ہے۔ اس کو ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ آپ کو خالی جغرافیہ معلوم ہے، جموں-کشمیر کی ہسٹری معلوم ہے۔ آپ یہ معلوم ہے کہ لدّاخ میں دو ڈسٹرکٹس ہیں – ایک لیہہ اور دوسری کارگل۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ لدّاخ میں شیعہ مسلمس کی 53 فیصد آبادی ہے اور بدّھسٹ 48 فیصد ہیں۔ ان 52 فیصد میں کچھہ اور بھی ہمارے دو-چار فیصد دھرم ہیں، بدّھشٹوں میں بھی کچھہ دو فیصد اور ہیں۔ Overwhelming majority between Buddhists. آج سے بیس سال پہلے تم نے جو ہسٹری پڑھی تھی، وہ بدّھسٹ اسٹیٹ اس کو کہتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بہت آبادی بڑھی۔ اب الٹا ہو گیا ہے، اب لدّاخ مسلم میجوریٹی بن گئی ہے۔ بدّھشٹ، ہمارے لیہہ کے بھائی تیس سال پہلے سے یونین ٹیریٹری چاہتے تھے اور کارگل والے لدّاخ سے نکل کر کشمیر پرووِنس میں آنا چاہتے ہیں، کیا یہ کسی کو معلوم ہے؟ یہ کارگل والے ایسا چاہتے ہیں۔ سنئے، آپ لاء مت پڑھئے، ہسٹری۔۔۔یہ پڑھئے، میں زندہ ہوں۔ 1991

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

میں، میں یونین منسٹر تھا۔ کئی مہینوں سے لیہہ میں ہل-کاؤنسل کی ہڑتال چل رہی تھی اور کارگل میں اینٹی-ہل-کاؤنسل کی چل رہی تھی۔ میں گوورنمینٹ آف انڈیا کی طرف سے negotiation کرنے گیا تھا۔ جو آپ کے ایم.پی. تھے، ابھی پچھلی بار میں، وہ اس کے چیئرمین تھے اور میری پارٹی کے، لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر، جو ابھی آپ کا dissolve کرنے کا پوائنٹ تھا، وہ اس کے جنرل سکریٹری تھے۔ میں نے ان کے فورم میں پہلی میٹنگ کی تھی اور کئی میٹنگوں کے بعد ان سے اگریمینٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو یو.ٹی. نہیں دیں گے، پر ہم نے انہیں ہل-کاؤنسل پر منوا لیا تھا، لیکن کارگل والوں کی تب بھی مانگ تھی اور آج بھی ہے کہ ہمیں لدّاخ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ہم لدّاخ کی جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے، پر ہمیں کارگل میں رہنا ہے۔ ابھی آپ نے لدّاخ کو پرووِنس کا درجہ دیا، آپ ذرا پانچ منٹ میں دیکھ لیجیے، اگر لیہہ میں اس کی کیپیٹل رکھتے۔ آپ کو بھی مجبوری میں لیہہ میں بھی اس کی کیپیٹل رکھنی پڑی اور کارگل میں بھی رکھنی پڑی۔ وہ اسی مجبوری میں رکھنا پڑا، کیوں کہ کارگل والے کہتے کہ ہمیں کشمیر کی پرووِنس میں لے جاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک یو.ٹی. میں یہ پرابلم ہے؟ اب چیف منسٹر کس کو منائیں گے؟ لدّاخ، جو کہ ہمارے جموں کشمیر کا سب سے peaceful region تھا، آپ نے وہاں کے بدّھشٹوں اور وہاں کے شیعہ مسلمز کے بیچ ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے۔ اب جموں اور کشمیر کو یو.ٹی. کیا ہے اور اس کو چلائے گا لیفٹیننٹ گورنر۔ کتنے بدّھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر شاہد تک، آپ ہماری بات چھوڑئیے، یہ لوگ وہاں چیف منسٹر رہے ہیں، یہ وہاں کی سیاست سے جوجھ رہے ہیں، لیکن آپ ایک آئی.اے.ایس افسر کو، جوائنٹ سکریٹری کو یا اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو اٹھاکر لیفٹیننٹ گورنر بنائیں گے اور وہ جموں کشمیر کے مسئلے حل کرے گا۔

میں سمجھتا تھا کہ آپ تو بڑے بدّھیمان ہیں، آپ صرف ہندوستان پر حکومت نہیں کرتے، پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اب جموں اور کشمیر لیفٹیننٹ گورنر چلائے گا! اس لئے مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔

مجھے افسوس آپ کی سوچ پر ہے۔ آپ تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں، تو کیا آپ پرانے بھارت کو بگاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے؟ توڑ، پھوڑ، جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا۔ اس لئے آپ بھارت کے اتہاس کے ساتھ، بھارت کی ایکجہتی کے ساتھ، اکھنڈتا کے ساتھ، بھارت کے کلچر کے ساتھ ووٹ لینے کے لئے یہ کھلواڑ مت کیجئے۔ بہت ہو گیا۔ یہ بھارت کے اتہاس میں کالا دھبّہ ہوگا، جس دن یہ قانون پاس ہوگا۔ ہندوستان کے اتہاس میں اور اس نئے بھارت کے اتہاس میں یہ کالا دھبّہ ہے کہ آج آپ جموں-کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کر رہے ہیں، 35-اے ختم کر رہے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر اسٹیٹ کو توڑ کر delimitation کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان کے نقشے سے وہ کشمیر، جس کے لئے کہتے ہیں 1947 میں جب باہر سے، پاکستان سے لوگ آئے تھے، تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا، "جس کشمیر کو خون سے سینچا، یہ کشمیر ہمارا ہے"، ان ہزاروں بہنوں نے، بھائیوں نے، نوجوانوں نے جس خون سے سینچا تھا، آج اس خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے اور آپ نے وہ اتہاس مٹا دیا ہے۔ بھارت کا اتہاس اور ہندوستان کے لوگ، جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے، جن کی سوچ دیش کے لئے ہوتی تھی، دیش کے اتھان کے لئے ہوتی ہے، دیش کی ایکجہتی کے لئے ہوتی ہے، دیش کی سلامتی کے لئے ہوتی ہے، دیش کو آگے بڑھانے کے لئے دیش بھر میں جن ہندو-مسلمان، سکھ، عیسائیوں کی سوچ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو برداشت نہیں کریں گے۔ چاہے آپ میجورٹی سے، اپنی طاقت کے بل بوتے سے قانون لائیں گے، لیکن اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں آپ ناکام ہوں گے۔ بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

3.00 P.M.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, on some days we need to restate the very obvious and the very basics. But let me start by doing that. We love our motherland. We love our democracy. We love our Parliament. We will do what it takes to fight for the integrity of Parliament. We love the federalism which our founding fathers gave us. In fact, the founding fathers would have thought this out in great detail and would have led us out of colonial rule and through our Independence. But today, we have to start questioning the very basics because today is black Monday. Every Monday, sometimes if it is a bad Monday, it can be a black Monday. But this is a black Monday.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair*]

This is a dark day, a dark day for parliamentary democracy, a dark day for federalism, a dark day for the Constitution, a dark day for the Rajya Sabha and a dark day for the idea of India. This is not rhetoric. Let me begin by telling you why it is a dark day for the Constitution. Firstly, what happened this morning by tearing off our sacred book was unnecessary. There is no one who can condone that. But, Sir, classroom basics, Article 3 of the Constitution makes it very clear. 'From a new State by separation of territory from any State, or by uniting two or more States, or parts of States, and it goes on to say...' Basically, what happened today? Because sometimes, when we read the Constitution also, it is very clear. What happened today? What happened today is that there is President's Rule in Jammu and Kashmir. So, you bring this Presidential route, and you rewrite the State. This is basically what happened today. I will get to how even Parliament was hoodwinked and made a mockery of. But, basically, this is what has happened. The Constitution has been sadly, either forgotten conveniently, or, thrown into the dustbin, and before I proceed, I would like to sincerely appeal through you, Sir, to my colleagues in the parties with the strong regional presence, be they in Odisha, be they in Telangana, be they in Tamil Nadu, be they in Andhra Pradesh, be they in Bihar, or anywhere else. Sir, what this basically means is that apply President's Rule on a State, then, dissolve the House, then, you bring a Presidential proclamation, then, in the morning, you do this, and I will get to the Parliamentary Part of it, then you pass it. So, Bengal can become four States; Odisha, what is your lucky number? Seven. Okay, make it seven States; or, your worse still, you make it UT. This is the big issue how this morning we have made a complete mockery

of the Constitution. I want young India, I want the students in classrooms around India, I want the students in colleges around India, to go home this evening, and read Article 3 of the Constitution. Then, they will know what the BJP has done to you today. And it saddens me that it is not the BJP alone, they have some people with them.

Now, let us come to the mockery of Parliament. Thank you, Sir. At least, now, I can get to make the point which I wanted to make, but, I could not make in the morning of a very simple Rule. The Rule is like this, Sir. And check the timing when this happened because this is important. Today, what we saw was a mockery of Parliament. Let me tell you how. Rule 29 which deals with List of Business,—I am saying this with all the responsibility at my command,—at 11.07 a.m., maybe, 11.06 a.m. or maybe 11.08 a.m., the Home Minister moved a Resolution and the Bills. All the three Bills we are discussing here, the LoP has mentioned about that; that was at 11.07 a.m. I tried to raise this from 11 O'clock to 11.20 in the morning. At 11.07 a.m. that was done, the Revised List of Business reached the Members at 11.18 a.m. What are we doing to this glorious institution? You will first move a Resolution, then, you will give us the Revised List of Business, and then, as Supplementary, which is supposed to come even one minute before. You forget about it two days before. We are supposed to get everything two days before, but, that we have forgotten about it. Now, we have to be ready for some crumbs they throw at us. But, no, Sir, no crumbs. We will fight this; we will fight this everyday in Parliament and outside.

Let us talk about federalism, Sir. Don't believe what Trinamool Congress says or any other party says. Believe what Dr. Ambedkar said, and Dr. Ambedkar had said more than once, that the heart of our Constitution is federal, and only in times of extremity, do we look at it through the lens of unitary. Sir, it is very clearly mentioned in the Constitution. 'India, that is Bharat, is a Union of States.' Now, I will be told, Sir, how else could we have done this? This had to be done at the stealth of night! The Parliamentary Affairs Minister was sending SMSs to leaders of parties last night, reconfirming the List of Business today. I am not saying he can't do that. But, don't play these games. This is Parliament. Someone calls it dirty game. I don't call it even dirty game, this is cheap stuff. You had to make this big decision. You subverted the Constitution. You have applied all kinds of pressure here and there; everyday one Member will go and join you. You decide for big issues like this. Could you have called an all-party meeting? Could you have done something? We are all for national interest.

[Shri Derek O'Brien]

First is the national interest and then is the State interest. So, don't lecture here on this. Otherwise, I will give you the history of 1947 and then you people will not like that. I don't want to go into that because the time is very limited. State issues, federal issues, and national issues. When these things happen and if you are in Parliament, beyond the tamed television channels and the tamed media owners, I also have to see what is happening on the social media today morning. It is being called by the right wing—and this is all over—'the final solution'. Sir, the final solution! What does that mean? That means 1942. This was the Nazi plan for the genocide; the code named to murder the Jews was called 'the final solution'. What are we witnessing today on August 5th, 2019? ...*(Interruptions)*... What are we seeing? ...*(Interruptions)*...

Sir, I want to take you back to Parliament on January 3rd, this year. The then Home Minister, Rajnath Singhji, assured Rajya Sabha, 'All is well. Being on the elections to Parliament, we are waiting for the EC'. June 29th, not very long ago, the present Home Minister, also said in Parliament. Sir, there is also a very important date here. On March 10th, the Parliamentary elections got announced. On March 11th, the EC appointed three observers for Jammu and Kashmir. Please tell me what those three EC observers said. On April 15th, what did they say? 'The observers reported to EC that the situation is conducive to hold elections immediately after the Lok Sabha polls.' No political party said this. The observers said this. I know what is predictable now! In the answer, we will get, 'EC? EC से हमारा कुछ लेना-देना नहीं है।' But we all know, Sir. We all know what is happening.

Sir, I am also appealing to my other friends. I mentioned the parties. I am also, through you, appealing to the three friends from the Aam Aadmi Party. They have dealt with the Lt. Governor for a long while. For God's sake, don't get into another Lt. Governor. Please oppose this legislation.

Sir, I will conclude by paraphrasing three-four sentences which pretty much summarise today beyond the legality, beyond the mockery of our Parliamentary institution. I don't know whether it is anger or disappointment or all rolled into one. But this is the truth. That is why, the Trinamool Congress stands here. It is a paraphrase:

First, they came for the dalit' and

I said, 'I am not a dalit.

So, I didn't stand up.

Then, they came for the oppressed.

And I said, 'I am not an oppressed.'

So I didn't stand up.

Today, they came for the Kashmiris.

And I said, 'Oh! I am not a Kashmiri.'

So, I will not stand up!

No, Sir, we will stand up because then, when they come for me, there will be no one to stand up. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री सुशील कुमार गुप्ता। आपका 3 मिनट का समय है। थोड़ा कम ही है, परन्तु आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): आपका धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा माइक ऑन नहीं है। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं। धारा 370 हटाना देशहित का मामला है। श्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देशहित के मामलों में हमेशा सबसे आगे रही है। अलगाववाद और आतंकवाद का हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी आज सदन में प्रस्तुत बिल का समर्थन करती है। ...(**व्यवधान**)...भारत की संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में देश के पवित्र संविधान के साथ कोई व्यक्ति यदि छेड़छाड़ करता है या उसे फाड़ता है, हम उसकी निन्दा करते हैं। हमारा संविधान वह ग्रंथ है जो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोच्च संस्थाओं के शीर्ष पर बैठने का अधिकार देता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल होगी तथा वहां सरकार विकास के कार्य करेगी। हम हमेशा पूर्ण राज्य में विश्वास करते हैं। मैं अपने मित्र देरेक जी को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी Lieutenant Governor के जुल्मों को सह लेगी परन्तु देश की अखंडता के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हम ऐसे बिलों का समर्थन करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब कश्मीर में शांति कायम होगी और विकास कार्य होंगे। हम चाहते हैं कि वहां के मासूम नागरिकों की हत्याएं बंद हों। हमारे जवानों को वहां जिस तरह लगातार शहादत देनी पड़ती है, वह बंद हो। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का जो भारी-भरकम बजट, वहां आतंकवाद और अलगाववाद से जूझने कि लिए खर्च होता था, अब वह शांति कायम करने में खर्च हो और जम्मू-कश्मीर के विकास में लगे। देश के कोने-कोने से लोग वहां जाकर अपना व्यापार कर सकें, जिससे वहां के लोगों का विकास हो, जय हिन्द।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। मैं जब 14वीं लोक सभा का सदस्य था, मुझे एक बार Petroleum Committee के सदस्य के रूप में, कश्मीर जाने का मौका मिला। केवल एक बार ही मैं कश्मीर में, श्रीनगर से लेकर पहलगाम और गुलमर्ग तक गया हूं। जब हम गुलमर्ग जा रहे थे, तो एक स्थान पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी रुकवा ली। वहां सब लोगों ने उतरकर घाटी की सुन्दरता को देखकर कहा था कि जो विभाजन हुआ, वह बहुत खराब था। उसकी वजह से यहां आतंकवाद बढ़ रहा है और दूसरे प्रदेशों से लोगों के आने में दिक्कत हो रही है। वह बहुत खूबसूरत स्टेट है। वैसे तो मैं धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप उसे हटाने जा रहे हैं। अगर धारा 370 को हटाना ही था तो हटा देते, लेकिन उसकी स्टेटहुड आपने क्यों खत्म कर दी ? क्या ऐसा जरूरी था कि धारा 370 हटाने के लिए उसे यूनियन टैरिटरी बना दिया जाए ? ऐसा कोई constitutional compulsion नहीं है। ...**(व्यवधान)**... देश में अभी 29 राज्य हैं, अब 28 रह जाएंगे। 7 यूनियन टैरिटरीज़ हैं, अब से थोड़ी देर बाद, वे 9 हो जाएंगी। संविधान की पहली अनुसूची में सब कुछ दिया हुआ है। जब से आपने वहां para military forces की संख्या को बढ़ाया और जिस तरह से मीडिया ने देश में हाइप पैदा किया, आपको उसकी चिन्ता करनी चाहिए थी। कई बार अनावश्यक रूप से मीडिया द्वारा लोगों के मन में आशंका और भय जैसी निराधार चीजें पैदा कर दी जाती हैं। सारे देश में यह आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। दो-तीन दिन पहले ही जब यहां पर किसी मसले पर चर्चा चल रही थी, तब उधर से बहुत जोर-शोर से कहा जा रहा था कि कश्मीर में स्थिति को इतना सुधारा, हिन्दुस्तान में पहली बार अमरनाथ यात्रा शांतिमय तरीके से संपन्न होने जा रही है। आपने अकस्मात अमरनाथ यात्रियों के श्रद्धालुओं को वापस कर दिया, सारे होटलों की बुकिंग बंद कर दी, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता है, जो वहां पर थे, उन सबको निकाल कर बाहर कर दिया और कहा कि जाइए, वापस जाइए। इससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई कि कोई ऐसी-वैसी बात हो सकती है, जिससे अशांति हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और वह यह है कि अशांति होने से अलगाववादियों को प्रसन्नता होती है, लेकिन जो शांतिमय तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनके मन में भय होता है, उनको डर लगता है, तो वह और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अलगाववादी तो चाहते ही हैं कि वहां गोली चले। अलगाववादी चाहते हैं कि लोग मारे जाएं। अलगाववादी चाहते हैं कि पुलिस की गोली के रिएक्शन में लोग, जो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनका भारत के साथ जो जुड़ाव है, उसमें कमी आए, यही तो चाहेंगे और आप वही करने जा रहे हैं।

आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब-जब कहीं पुलिस के बल पर, सेना के बल पर या अन्य तरह के फोर्सेज़ के बल पर पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई, तो पब्लिक को दबाया नहीं जा सका। किसी मामले पर जब जनता उठ खड़ी होती है... आपने थोड़े से लोगों को भी confidence में ले लिया होता, जनप्रतिनिधियों को भी, तो यह जो मीडिया के जरिए पूरे देश में भय जैसा वातावरण पैदा कर दिया गया है, वह नहीं होता। वहाँ की ही, कश्मीर की

ही जो political parties हैं, वहां के जो people's representative हैं, अगर उनको भी विश्वास में ले लिया होता, तो लोगों के मन में जो आशंका है, वह नहीं होती। अब तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वहां ऐसा हो सकता है, वहां वैसा हो सकता है। सारे टेलीफोन्स बंद कर दिए गए, इंटरनरेट बंद कर दिए गया, सब कुछ कर दिया गया। जब मीडिया के माध्यम से यह प्रचार बाहर जाता है, देश के अंदर नहीं, बल्कि देश के बाहर भी तो जाता है, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर हिन्दुस्तान से बाहर के मुल्कों की opinion हमारे खिलाफ हो जाए, तो क्या वह हमारे विदेश नीति को प्रभावित करने वाली चीज नहीं होगी? क्योंकि हम आज के युग में अपने को isolate करके नहीं चल सकते हैं। हमें अपने मित्र देशों की संख्या को बरकरार रखना होगा या उसको बढ़ाना होगा और हमारे खिलाफ जो देश हैं, हमें कोशिश करनी होगी कि वह भी हमारे पक्ष में आए। लेकिन अगर लोगों को यह लगेगा कि हिन्दुस्तान के एक राज्य में एक पुलिस स्टेट जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिनके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह इसी इश्यू को लेकर opinion बदल सकते हैं। आप अपने लाभ के लिए मीडिया का जो प्रयोग करते हैं, वह तो आप करेंगे ही, कोई बात नहीं है, लेकिन देश के हित को भी तो देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ultimately हमारा ही नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो। आपको यह देखना पड़ेगा। दूसरा यह कि मैंने इस तर्क पर बहुत सोचा। ये जो आपने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की दो Union Territories बना दी हैं, यहाँ आपने Lieutenant Governors की व्यवस्था की है। अभी तो एक ही Lieutenant Governor दोनों को देखेगा, हो सकता है कि आप बाद में अलग-अलग appoint करें और जो Governor हैं, वे Lieutenant Governor हो जाएंगे, तो इसके सके पीछे आपकी जो सोच है, वह हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि जहाँ-जहाँ Lieutenant Governor हैं और खास तौर से पुदुचेरी और दिल्ली में भी -- आप पार्टी वाले अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज़ाना रो रहे थे। ...**(व्यवधान)**... मैं देखने गया था, जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एक अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि वे बीमार हो गए थे, मुख्य मंत्री Lieutenant Governor के आवास पर धरना दिए हुए थे। Lieutenant Governor ने मुख्य मंत्री से मिलने से भी मना कर दिया था। वे वहाँ कितने दिन बैठे रहे? संजय सिंह जी मैं वहाँ गया था या नहीं गया था? आप वहाँ ही थे। ...**(व्यवधान)**... वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर, चूंकि वे हमारे साथ बहुत दिन रहे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, वे एक बार पूरी केबिनेट के साथ मेरे घर आए और बताया कि Lieutenant Governor हमें परेशान कर रहे हैं, तो मुख्य मंत्री की कोई हैसियत ही नहीं है। आपने इसमें भी पुदुचेरी वाला ही प्रोविजन किया है। मैं यह थोड़ा-सा पढ़ा है, बहुत जल्दी में पढ़ा है, क्योंकि आप इसे इतनी जल्दी लेकर आए। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा, वरना आप कहेंगे कि मेरी तरफ देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: 70 साल देरी हो गई है।

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज पाँच तारीख है। इसे आप आज circulate कर देते, इससे लोगों को पढ़ने का मौका भी मिल जाता। अगर इसे आज पास करा सकते हो, तो कल भी पास करा सकते हो, परसो भी पास करा सकते हो। आप एक दिन में कश्मीर में कौन-सा तीर मार लेंगे?...**(व्यवधान)**... इससे क्या हो जाएगा? ...**(व्यवधान)**... हम लोगों को पूरा अंदाज़ा भी नहीं है कि इसमें क्या-क्या है? ...**(व्यवधान)**... हमने थोड़ा-सा देख लिया कि इसमें क्या है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: आज नाग पंचमी है।

प्रो. राम गोपाल यादव: नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, साँप को दूध पिलाते हैं, फिर वह पाँच साल काटता रहता है। डॉ. लोहिया कहा करते थे कि पाँच साल तक खिलाफत करोगे और पाँच साल बाद उसे फिर दूध पिला दोगे, फिर वह पाँच साल काटने के लिए तैयार हो जाएगा।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

यह कदम आपने बहुत जल्दबाजी में उठाया है। मुझे लगता है कि इस पर आपने ज्यादा सोचा भी नहीं है। मान लीजिए, अगर कश्मीर में अशांति हुई, अभी वहाँ स्थिति कंट्रोल में थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गई थी, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब हमें इस बात का संदेह है, आशंका है कि वहाँ अशांति हो सकती है, क्योंकि across the border से अब वहाँ अशांति फैलाने की कोशिश होगी। यह कोशिश होगी और अशांति पैदा होती है, तो पहले से बदतर स्थिति हो सकती है। हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन यह स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो सकती है। मैं यह जानता हूँ कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर में आदमी मरे या जिए, आपको इस बात की चिंता है कि शेष देश में लोगों के पास यह कहने के लिए हो कि देखिए धारा-370 हटा दी गई है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वे इस देश के रहने वाले लोगों से, चाहे वे किसी धर्म या जाति से हों, सबसे स्नेह करते हैं, कोई discrimination नहीं करते है, unli Öe you. ...**(व्यवधान)**... आपने यह sentence नहीं सुना। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो इधर बैठे हैं, वे धर्म, जाति या region के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते, unlike you. You do it; इसलिए यह आपने सारे देश में मैसेज देने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को मैसेज देने के लिए किया कि देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। आपको चुनाव में लाभ होना चाहिए, चाहे इससे देश का कितना भी नुकसान हो। This is your principle और मैं जानता हूँ कि इसी आधार पर आप आगे भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, जो आप बिल लाए हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग

में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा वक्ता हैं और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। मैं इस बिल का केवल अभिनन्दन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आज जब यह चर्चा चल रही है, even before this debate concludes, and even before the hon. Home Minister has finished, completing his reply, this day, the day of 5th of August, 2019, has already gone in the history of India as a day of redemption, as a day of resurgence and as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post independent India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आज आई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय में संसद के सदस्य हैं, जब यह प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी बागडोर सम्भालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता। तीन पीढ़ियाँ इस अन्याय और मजबूरी को झेलकर यहाँ तक पहुँची हैं। मुझे लम्बी बात नहीं करनी है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर क्यों आपत्ति हुई? हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं यह कह गए थे कि यह अस्थायी है, temporary है और उनका यह वाक्य था कि यह धीरे - धीरे घिस जाएगी। The exact phrase used by Prime Minister, Pandit Nehru -- when there were some reservations expressed --, तो उन्होंने कहा कि इसकी चिन्ता न करें, यह वक्त के साथ घिसते-घिसते घिस जाएगी। उनके अनुयायियों के द्वारा उसे घिसाने का काम नहीं हुआ और यह श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अमित शाह जी के हिस्से में आया।

इसी प्रकार, सन् 1964 में संसद में एक व्यापक चर्चा हुई थी, जब शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे। उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि लगभग सभी दलों का यह मत है कि अनुच्छेद 370 के जाने का समय हो चुका है। इस पर सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, आगे कैसे बढ़ना है, हम इस पर विचार करेंगे। फिर परिस्थितियाँ बदलती गईं, हमें उस इतिहास में नहीं जाना, उसे हमने यहाँ बहुत बार दोहराया है series of blunders, one after the other. इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू-कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है। चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है, जिसकी यूनियन टेरिटरी की माँग आज पूरी हो रही ही है, चाहे है कश्मीर घाटी है। The common man walking in the streets of Srinagar today is rejoicing. वह बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर खौफ का एक पर्दा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): वहाँ कोई हर्षोल्लास नहीं है, वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है।

डा. जितेन्द्र सिंह: कर्फ्यू खुलने से पहले ही उसने rejoice करना शुरू कर दिया। He has already become a part of the development journey led by Modi*ji*. इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए यह प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे, उन लोगों को चिन्ता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, जिनके स्वार्थ का कहीं न कहीं हनन होता हो, जो सांसद और विधान सभा के सदस्य बनने के लिए 8-10 प्रतिशत voter-turn-out के लाभार्थी रहे हों। मुझे उस चर्चा में नहीं जाना। | I conclude by saying that we are part of a global world. India today is part of a global world. You have no right, absolutely, to deprive Jammu and Kashmir being a part of this global world. हमारी उम्मीदें, आकांक्षाएं, आशाएं , हसरतें एक जैसी हैं और हमारी तकलीफ़ें और दिक्कतें भी एक जैसी हैं। एक शेर है कि,

"मेरी ज़मीन भी तुम्हारी ज़मीन से मिलती है

दीदाये पीर ए हस्ती बेबसी भी एक सी है।"

हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जैसे कहते हैं कि,

'लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पायी'

महोदय, तीन पीढ़ियों ने सज़ा पायी है। आज मौका है इससे आगे बढ़ने का। And, certainly, as I said, we have no right to deprive Jammu and Kashmir being part of global India and no right to deprive the youth of Jammu and Kashmir to be the beneficiaries of the enormous avenues unleashed in India by the Modi Government and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi*ji*. Thank you.

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019

(II) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019

(II) The National Medical Commission Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-